खण्ड–490, अंक–3
सोमवार, 16 आषाढ़, शक संवत् 1936
(07 जुलाई, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 490 में 3 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
मंहगाई एवं कानून व्यवस्था पर दी गई सूचना पर चर्चा कराने की मांग ...	7
जनपद मुरादाबाद के कांठ में मन्दिर से लाउडस्पीकर उतरवाये जाने तथा महापंचायत पर पथराव एवं फायरिंग की निन्दा कर एस0एस0पी0 को हटाने तथा प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच की मांग	7-9
प्रश्नोत्तर	9-62
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014	62-63
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	63-64
जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्र स्थित निवैया ताल की पुनः खुदाई कराके मूल रूप में स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र की कतिपय विधान सभाओं की जमीन पर किये जा रहे अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	64-65
जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय इलाकों में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	65
विधान सभा क्षेत्र अमांपुर कासगंज के कतिपय स्थानों पर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	65-66
जनपद लखनऊ के मोहान रोड स्थित अशोक नगर मोहल्ले की सड़कों व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	66
उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास नगर लि0 के कर्मियों को छठा वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	66
उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास नगर लि0 की विभिन्न योजनाओं के पुनः संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
गोरखपुर दीवानी कचहरी के दो मुख्तारखाने तथा वादकारी कक्षों के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	67
जनपद महाराजगंज अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के विकास खण्ड बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	67-68
बुलन्दशहर में नगर पालिका परिषद् में अधिशासी अधिकारी द्वारा वर्ष 2011 में क्रय किये सामानों में की गई घोर अनियमितताओं एवं घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	68

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में जल निगम द्वारा जलापूर्ति हेतु बिछाई गई लाइन से आपूर्ति चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68-69
जनपद बरेली के महानगर के उत्तरी व दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर मटियारी चौराहे के पास के कुछ क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	69-70
जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत मदहा झील से सम्बन्धित ड्रेन की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी की नगर पंचायत भाटपार में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के कतिपय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	70-71
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के राशन के डीलरों से डी0एस0ओ0 द्वारा अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में स्वीकृत इन्टीग्रेटिड एण्ड कॉमहैन्सिव बाढ़ एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में बस्ती-मेंहदावल सड़क के उच्चीकरण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौनी के कतिपय ग्रामों में हुई ओलावृष्टि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में स्थित रामपुर रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73-74

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	74
जनपद गोरखपुर अन्तर्गत कुसम्हीं बाजार में मोती राम अड्डा तक की जर्जर सड़क का पूर्ण निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	74-75
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	75
जनपद रायबरेली के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 108 व 102 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75-76
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की कतिपय ग्राम सभाओं में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली की आमी नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	76-77
जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों/ स्टाफ की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में पी0एच0सी0 सुविधाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	77-78
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	78
जनपद मथुरा के नगरीय क्षेत्र में जय बाबा गुरूदेव बाबा में स्थापित सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	79
प्रदेश के बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय में मार्च, 2014 में सामग्री खरीद एवं भुगतान से सम्बन्धित 500 करोड़ घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
गाजियाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
फिरोजाबाद नगर में कांच उद्योग के कर्मियों की बस्तियों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	80

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पीलीभीत अन्तर्गत आई0डब्लू0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में किये गये घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
प्रदेश के डी0आर0डी0ए0 की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु आगे बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
यमुना नदी की सफाई हेतु सम्यक् समाधान निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82
नोएडा प्राधिकरण द्वारा विगत पांच वर्षों में भू-खण्ड आवंटन में किये गये घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	82-83
गाजियाबाद के नासिरपुर पुलिस चौकी से झन्कार पैलेस तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	83
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गरीब किसानों की जमीन का अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	83
जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र बरौली के कतिपय ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नव निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	83-84
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें...	84
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव..	84-85
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें...	85
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) ...	85
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	85-86
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) ...	86-87
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) ...	87
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) ...	88

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ...	88-89
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग	89
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ...	89-90
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग ...	90
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग ...	90-91
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की शेष मदें तथा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही सदन के विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव ...	91
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	91
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	91-92
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ...	92
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग ...	92
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) ...	93
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ...	93
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ...	93-94
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) ...	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) ...	94
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	95
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग ...	95
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) ...	95-96
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) ...	96
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) ...	96
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग	97
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-22-खेल विभाग	97
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	97-98
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) ...	98
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	98-99
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग ...	99
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)...	99
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) ...	99-100

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)..	100
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) ...	100-101
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)..	101
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) ...	101-102
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ...	102
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	102
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग	102-103
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय ...	103
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय ...	103
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग ...	104
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ...	104
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	104-105
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग	105
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग ...	105

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) ...	106
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) ...	106
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग	106-107
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग	107
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ...	107-108
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) ...	108
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ...	108
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)..	108-109
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) ...	109
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग	109-110
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) ...	110
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग	110
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग ...	110-111
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) ...	111
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 (पारित)	111-118
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित)	118-120

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित) ...	120-122
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें...	122-127
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर की उपेक्षा एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	127
जनपद बांदा के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारियों द्वारा आदेश के बावजूद श्री राम प्रसाद त्यागी का भुगतान रोके जाने के सम्बन्ध में श्री गयाचरण दिनकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	127
प्रदेश में बी0एड0/डी0एड0 (विशेष शिक्षा) योग्यताधारी विशेष शिक्षकों को सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का वक्तव्य	128-129
जनपद बिजनौर के नहटौर और हल्दौर के सरकारी अस्पताल में पर्याप्त डाक्टर, दवा तथा पैथालोजी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में श्री ओम कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	129-130
जनपद बलिया के दि किसान सहकारी चीनी मिल, माधौपुर के गन्ना कृषकों एवं मिल कर्मचारियों के बकायों के भुगतान के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	130-131
जनपद चन्दौली में स्थित राजकीय महाविद्यालय, चन्दौली में स्नातकोत्तर विषय के अध्यापकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	131
उत्तर प्रदेश के लगभग 2000 हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों की मान्यतायें न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री फेरनलाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत को दी गयी सूचना पर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य...	131-132
कानपुर महानगर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज को एम्स जैसी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नोई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	132-133

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बुलन्दशहर में सरायकुड़ियां स्थित जिला पंचायत की 100 करोड़ की जमीन/सम्पत्ति का अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी द्वारा घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य ...	133-134
जनपद गाजियाबाद स्थित विवेकानन्द नगर में डबल स्टोरी फ्लैट में सीवर जाम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	135
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	135
नत्थी	136-139

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 07 जुलाई, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-325

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
6. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
7. अताउररहमान, श्री — बरेली
8. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
11. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
14. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
20. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
25. *अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
36. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
37. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
38. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
39. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
40. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
41. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
42. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
43. आशीष यादव, श्री — बदायूं
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
45. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
46. इकबाल, श्री — बिजनौर
47. इकबाल महमूद, श्री — संभल
48. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
49. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
50. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
51. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
53. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
54. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी

55. उदयराज, श्री उन्नाव
56. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
57. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
58. उमाशंकर, श्री बलिया
59. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
60. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
61. ओम कुमार, श्री बिजनौर
62. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
63. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
64. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
65. काली चरन सुमन, श्री आगरा
66. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
67. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
68. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. कैलाश, श्री गाजीपुर
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
73. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
74. गजराज सिंह, श्री हापुड़
75. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
76. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
77. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
78. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
79. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
80. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
81. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
82. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
83. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
84. गोमती यादव, श्री लखनऊ
85. गोरख पासवान, श्री बलिया
86. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
87. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
88. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
89. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
90. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
91. जगपाल, श्री सहारनपुर
92. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
93. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
94. जफर आलम, श्री अलीगढ़
95. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
96. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
97. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
98. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
99. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
100. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
101. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
102. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
103. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
104. तसलीम, श्री बिजनौर
105. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
106. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
107. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
108. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
109. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
110. दलजीत सिंह, श्री बांदा
111. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
112. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
113. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
114. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
115. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
116. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
117. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
118. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा

119. धर्मराज, श्री बाराबंकी
120. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
121. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
122. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
123. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
124. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
125. नारद राय, श्री बलिया
126. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
127. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
128. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
129. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
130. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
131. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
132. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
133. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
134. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
135. पीतमराम, श्री पीलीभीत
136. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
137. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
138. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
139. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
140. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
141. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
142. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
143. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
144. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
145. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
146. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
147. फेरन लाल, श्री ललितपुर
148. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
149. बदलू खां, श्री उन्नाव
150. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
151. बाबूलाल, श्री गोण्डा
152. बावन सिंह, श्री गोण्डा
153. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
154. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
155. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
156. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
157. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
158. बैजनाथ, श्री मऊ
159. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
160. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
161. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
162. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
163. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
164. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
165. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
166. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
167. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
168. मनबोध, श्री देवरिया
169. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
170. मनीष रावत, श्री सीतापुर
171. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
172. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
173. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
174. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
175. महबूब अली, श्री अमरोहा
176. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
177. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
178. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
179. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
180. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
181. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
182. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
183. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
184. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
185. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
186. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ

187. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
188. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
189. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
190. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
191. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
192. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0 कौशाम्बी
193. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
194. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
195. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
196. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
197. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
198. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
199. यासर शाह, श्री बहराइच
200. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
201. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
202. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
203. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
204. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
205. रणजीत सुमन, श्री एटा
206. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
207. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
208. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
209. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
210. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
211. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
212. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
213. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
214. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
215. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
216. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
217. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
218. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
219. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
220. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
221. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
222. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
223. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
224. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
225. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
226. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
227. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
228. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
229. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
230. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
231. राधे श्याम, श्री अमेठी
232. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
233. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
234. राम करन आर्य, श्री बस्ती
235. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
236. राम गोविन्द, श्री बलिया
237. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
238. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
239. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
240. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
241. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
242. राम मगन, श्री बाराबंकी
243. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
244. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
245. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
246. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
247. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
248. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
249. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
250. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
251. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
252. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
253. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र

254. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
255. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
256. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
257. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
258. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
259. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
260. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
261. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
262. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
263. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
264. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
265. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
266. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
267. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
268. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
269. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
270. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
271. विजय सिंह, श्री रामपुर
272. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
273. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
274. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
275. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
276. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
277. वीरपाल राठी, श्री बागपत
278. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
279. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
280. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
281. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
282. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
283. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
284. शाकिर अली, श्री देवरिया
285. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
286. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
287. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
288. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
289. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
290. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
291. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
292. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
293. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
294. संजय कपूर, श्री रामपुर
295. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
296. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
297. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
298. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
299. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
300. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
301. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
302. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
303. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
304. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
305. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
306. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
307. सियाराम सागर, डा0 बरेली
308. सीमा, श्रीमती जौनपुर
309. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
310. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
311. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
312. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
313. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
314. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
315. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
316. सुरेश राणा, श्री शामली
317. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
318. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद

319.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली	323.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
320.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	324.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
321.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	325.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
322.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर			

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण व विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

मंहगाई एवं कानून-व्यवस्था पर दी गयी सूचना पर चर्चा कराने की मांग

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में पहले से ही बैठे सदस्य खड़े होकर नारे लिखे बैनर दिखाने तथा नारे लगाने लगे। वे नारे लगाने लगे मोदी अखिलेश का देखो राज मंहगाईराज और गुण्डाराज, मोदी अखिलेश की नूरा कुश्ती जनता है दंगे में पिसती, मुंह में राम बगल में छूरी, दंगा कराना भाजपा की मजबूरी, सब कुछ मंहगा, जान है सस्ती, प्याज है मंहगी, जान है सस्ती, मोदी अखिलेश का देखो खेल, खा गये बिजली, पी गये तेल आदि नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष आप अपने मा0 सदस्यों को आसन पर जाने के लिए कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

श्रीमन् आज पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई महंगाई से जनता पीड़ित है। बड़े पैमाने पर आलू, अण्डे और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के साथ-साथ चीनी के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। रेल किराये मे बेतहाशा वृद्धि जनता की कमर तोड़ दी है। [XXX] की मार की चक्की में आज पूरा प्रदेश पिसा जा रहा है। प्रदेश की जनता पहले से ही ध्वस्त हो गई कानून-व्यवस्था से त्रस्त थी अब यह [XXX] से परेशान हो गई है। मंहगाई की मार से जनता की कमर टूट चुकी है और इसके खिलाफ जनता में भीषण आक्रोश है, इसी बात को लेकर हमने अपनी सूचना देकर चर्चा की मांग की है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल ने सारी बातें कह दी जिस उद्देश्य से आप यहां कर रहे हैं अब आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, चलें। आप का क्या है, महाना जी।

जनपद मुरादाबाद के कांठ में मन्दिर से लाउडस्पीकर उतरवाये जाने तथा महापंचायत पर पथराव एवं फायरिंग की निन्दा कर एस0एस0पी0 को हटाने तथा प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच की मांग

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एस0एस0पी0 मुरादाबाद, कांठ की घटना पर एस0पी0 के प्रवक्ता के रुप में काम कर रहे हैं। जब तक एस0एस0पी0 मुरादाबाद वहां पर रहेंगे सौहार्द और शांति का माहौल स्थापित होने में कठिनाई होगी, इसलिए आवश्यक है कि एस0एस0पी0 मुरादाबाद को वहां से हटाया जाये और उनको बर्खास्त किया जाए। उन पर कार्यवाही के बिना शांति बहाली की संभावना कम है और यह प्रदेश में आगे भी बढ़ सकती है। मान्यवर, हमारी मांग है कि एस0एस0पी0 मुरादाबाद को बर्खास्त किया जाए। इस घटना की निष्पक्ष जांच हो सके, इसलिए सी0बी0आई0 से इसकी जांच कराई जाये और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही हो।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

सदन को यह मालूम होना चाहिए कि जिस सवाल को लेकर इस सदन में विवाद है, वह बहुत बुनियादी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, जो महंगाई के सवाल को लेकर, बेरोजगारी के सवाल को लेकर सत्ता में आई, क्योंकि वह इन सवालों का कोई हल नहीं तलाश कर सकी और जिस रास्ते

[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

से यह सरकार सत्ता में आई, उसमें उसने बेगुनाह, बेसहारा मुजफ्फरनगर के लोगों का [x x x] और वह तजुर्बा मान्यवर, कामयाब हुआ इनका। समाज को बांटने का तर्जुबा, इंसानियत को लहुलुहान करने का तर्जुबा कामयाब हुआ अब ये इसी तर्जुबे को दोहराना चाहते है। कांठ में भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनैतिक नंगा नाच किया है, उसकी पहली मिसाल विधान सभा के गेट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बाहर निकलकर जिस तरह [XXX] के हमले जैसा हमला किया गया, उसी वक्त हमें यह समझ लेना चाहिये था कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक जा सकती है। मान्यवर, कांठ में ट्रेनों से लोग आये, हजारों की तादाद में कांठ के बाहर से लोग आये, दूसरे जिलों के लोग, दूसरे प्रदेश के लोग और मान्यवर, इसमें ज्यादातर उन लोगों की बुद्धि ने काम किया, जिन्होंने मुजफ्फरनगर के केवल 8 गांवों के अंदर उपद्रव किया था और उसकी कीमत पूरे उत्तर प्रदेश ने और पूरे देश ने अदा की थी। मान्यवर, बहुत चुटकी भर लोग हैं जो अपनी ताकत की बुनियाद पर अशांति फैला रहे हैं। मान्यवर, इन लोगों ने जो ट्रेन से आये थे, इन्होंने फिश प्लेटें उखाड़ी, इन्होंने रेल की पटरियां उखाड़ी, इन्होंने इंजन ड्राइवर को अगवा किया, ट्रेन के अंदर चलने वाले मुसाफिरों का पैसा लूटा और यह सूचना है कि [XXX] मैं समझता हूं कि इस बात की भी जांच होनी चाहिये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अराजक तत्व बुलाये थे, उसमें नक्सल ट्रेनिंग किये हुये कितने लोग थे ? अगर इस तरह देश का माहौल बनेगा, इस तरह सत्ता हासिल करने के लिये अशांति फैलायी जायेगी। समाज के कमजोर वर्ग के कमजोर वर्ग से लड़ाया जायेगा, दलितों को कमजोरों से लड़ाया जायेगा। मान्यवर, यदि हर व्यक्ति अपने हाथ में पत्थर ले लेगा तो किसी का सिर खून से बाकी नहीं रहेगा आपने देखा डी0एएम0 की आंख पर पत्थर पड़ा और इस बात की संभावना है कि डी0एम0 की आंख बहुत खतरे में है। इसलिये मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम होना चाहिये कि जो फसाद, जो दंगा जो अराजकता वह समाज में पैदा करना चाहते हैं, उससे यकीनन गरीबों का नुकसान होगा। गरीब की झोपड़ी और उसका फूस का छप्पर जलेगा, लेकिन इसकी आंच में बड़ी कोठियां और बड़े महल भी आयेंगे। यह नुकसान किसी एक वर्ग का किसी एक धर्म का, किसी एक जाति का नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले करोड़ों उन बेगुनाहों का होगा जो नुकसान यह मुजफ्फरनगर के रास्ते से पहले कर चुके हैं। मान्यवर, चूंकि मुजफ्फरनगर का तजुर्बा भारतीय जनता पार्टी का एक कामयाब तजुर्बा था, लिहाजा सत्ता हासिल कर ली केन्द्र की अब मात्र उप चनुाव जीतने के लिये, समाज का खून में नहाना चाहते हैं। इसलिये मान्यवर, यह न सिर्फ आपकी नजर में, होना चाहिये, बल्कि समाज को यह संदेश आना चाहिये कि भारतीय जनता पार्टी अपने अराजक तत्वों के द्वारा, नक्सल ट्रेनिंग हासिल किये हुये लोगों के द्वारा, मात्र सत्ता हासिल करने के लिये और सत्ता हासिल करने के बाद अपनी नाकाम सरकार को, जिसमें महंगाई नहीं रूकी, अनाज महंगा हुआ, दालें महंगी हुई, सब्जी महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ रेल का किराया महंगा हुआ, अपनी नाकामी को दबाने के लिये, मान्यवर, अपनी नाकामी को दबाने के लिये इंसानों की जिदंगियों से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर बहुत सख्त कार्यवाही होनी चाहिये और यह हम सदन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिये जिस तरह की कार्यवाही कांठ में हुई है अगर कहीं इस तरह का कांड होगा तो सरकार उसी तरह से दृढ़ संकल्प रहेगी और कमजोरों को न पलायन करने देगी, न अपने घर छोड़ने देगी, न उनकी जान-ओ-माल और इज्जत आबरू को खतरे में आने देगी।

[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के वेल से नारे लिखे बैनर दिखाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह लोग पूरे प्रदेश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। [x x x] कराया अब यह मुरादाबाद में करा रहे हैं, यह पूरे प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोकना चाहते हैं। मान्यवर, इनकी पूरी नजर सत्ता हासिल करने की है, जो उप चुनाव होने हैं, उसमें विजय हासिल करने की है। यह पूरे प्रदेश को खून में रंगना चाहते हैं। इनकी कोशिशों को हमारी सरकार नाकाम करेगी और जो भी कानून से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, वह करेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्नों को लेता हूं।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नत्थी-(क)

तारांकित प्रश्न

*01-डा0 धर्मपाल सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या-2 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई कोई खड़ा नहीं हो रहा है।

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण हेतु वर्तमान आय-व्ययक में जेण्डर बजटिंग अपनाकर सशक्तिकरण का प्रयास किया जाना

*02-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये सरकार ने कोई प्राथमिकता निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्तमान आय-व्ययक में जेण्डर बजटिंग अपनाकर महिला सशक्तिकरण का प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरूण कुमारी कोरी)-

जी हां।

राज्य स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण तथा कार्यन्वयन हेतु एकीकृत संस्था के रूप में मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा इसके अन्तर्गत ही राज्य महिला संसाधन केन्द्र की स्थापना भी की गई है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद कन्नौज तथा बांदा में पूर्ण शक्ति केन्द्र की स्थापना की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जेण्डर बजटिंग की कार्य योजना के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। इस कारण वर्तमान आय-व्ययक में जेण्डर बजटिंग का प्राविधान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-3 लेता हूं।

डा0 अरूण कुमार-

कोई खड़ा नहीं हो रहा है।

प्रदेश में वर्ष 2012-13 में नाबालिक बच्चों के साथ हुए दुराचार तथा जघन्य अपराध के कितने मामलों में पोक्सा एक्ट न लगाये जाने का कारण तथा कारगर योजना की जानकारी

*03-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012-13 में नाबालिग बच्चों के साथ हुए दुराचार तथा जघन्य अपराध के कितने मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नाबालिग बच्चों के साथ हुए दुराचार तथा जघन्य अपराधों के मामलों में पोक्सो ऐक्ट नहीं लगाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त अपराध को रोकने के लिये कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

प्रदेश में नाबलिग बच्चों के साथ दुराचार तथा जघन्य अपराधों से सम्बन्धित वर्ष-2012 में 6033 तथा वर्ष-2013 में 9857 घटनायें पंजीकृत की गई है।

पाक्सों एक्ट दिनांक 14-11-2012 से लागू हुआ है। अतः वर्ष-2012 के अन्तिम चरण में ऐक्ट लागू होने के कारण पाक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत वर्ष-2013 में 1796 घटनायें पंजीकृत हुई है।

नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार तथा जघन्य अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कारगर योजनाएं बनायी गयी है।

(1) विशेष जुवेनाइल पुलिस इकाई, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम-2000) की धारा-63 (3) के अन्तर्गत किशोर/किशोरियों के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का गठन किया गया है, जिसका प्रभारी, निरीक्षक स्तर का अधिकारी है तथा धारा-63(2) के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद के थानों पर उपनिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी को 'बाल कल्याण अधिकारी' नियुक्त किया गया है।

(2) अवैध मानव व्यापार इकाई-भारत सरकार के स्तर से संचालित योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 24 जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स स्थापित किये जा चुके हैं। यूनिट में नियुक्त स्टाफ

द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के अनैतिक देह व्यापार के मामलों में रेस्क्यू की कार्यवाही करते हुये ट्रैफिकर के विरुद्ध एवं पीड़ित को नियमानुसार समुचित सहायता प्रदान करते हुये कार्यवाही की जाती है।

(3) गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0)-1098-यूनिसेफ के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश के 20 जनपदों में चाइल्ड हेल्प लाइन-1098 के रूप में कार्य कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, आप सदन को व्यवस्थित कराइये। हमारे प्रश्न लगे हैं और दूसरी सूचनायें लगी है, उस पर हम अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या-4 श्री मनीष असीजा। कोई खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिये आगे बढ़ रहे हैं।

प्रदेश में नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक घर तथा पाइप लाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की ठोस कार्य योजना

*04-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने के कारण बड़ी संख्या में नागरिकों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को संकल्पबद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक घर तक पाइप लाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कोई ठोस कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रदेश की कुल 630 नागर स्थानीय निकायों में से 626 नगर पाइप पेयजल आपूर्ति से आच्छादित हैं। प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये संकल्पबद्ध है। पेयजल की आंशिक कमी को अन्य विभिन्न विकल्पों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में पेयजलापूर्ति की स्थिति को सुदृढ़ किये जाने हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श में 11 पेजयलापूर्ति परियोजना तथा यू0आई0डी0 एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में 37 पेयजलापूर्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सेक्टर में नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजलापूर्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। जिला (नगरीय पेयजल) के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराकर भी पेयजलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। स्पष्टतः प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजलापूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

630 नागर स्थानीय निकायों में पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है -

निकाय	नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति की मार्च, 2014 की स्थिति (संख्या)	
	कुल	आच्छादित
नगर निगम	13	13
नगर पालिका परिषद	194	194
नगर पंचायत	423	419
योग	**630**	**626**

नगर पंचायत बभनान जनपद बस्ती, रसूलाबाद जनपद रमाबाईनगर एंव डुमरियागंज व उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर में पेयजल आपूर्ति नहीं है। इनमें से बभनान रसूलाबाद एवं उसका बाजार नगर पंचायतों की पेयजल योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं तथा उनमें निर्माण कार्य प्रगति पर है। डुमरियागंज योजना का प्राक्कलन गठित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली-1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद नगर निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में अनियमितता बरते जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

01-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 24-02-2014, संबंधित इलाहाबाद नगर निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत निर्मित कराये गये नगर बस अड्डों पर यात्री शेडों तथा राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन अथॉरिटी व पर्यावरण सुधार के अन्तर्गत निर्माण कराये गये सार्वजनिक शौचालयों में बरती गई अनियमितता, गुणवत्ता विहीन कार्यों आदि के जांच कराने हेतु उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्यों की अनियमितता तथा गुणवत्ता की जांच नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, इलाहाबाद से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

02-श्री रामचन्द्र यादव-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद की आबादी एवं क्षेत्रफल विस्तार होने के कारण नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद को नगर निगम बनाय जाना

03-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद की आबादी एवं क्षेत्रफल विस्तार होने के कारण नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद को नगर निगम बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नगर की पेयजल आपूर्ति की समस्या के निदान हेतु बजट में प्राविधान करने विषयक

04-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद की पेयजल आपूर्ति की समस्या के निराकरण हेतु बनाई परियोजना झेड़ाझाल से कच्चा जल लेकर नगर फिरोजाबाद में पेयजल आपूर्ति किये जाने की योजना में व्यय होने वाली धनराशि की उपलब्धता के लिये आवश्यक बजटीय प्राविधान कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक किये जायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

विस्तृत प्राक्कलन माह अगस्त, 2014 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

जनपद फिरोजाबाद नगर की पेयजल समस्या के निदान हेतु झेडाझाल से कच्चा पानी लेकर डी0पी0आर0 (विस्तृत प्राक्कलन) तैयार करने सम्बन्धी

05-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में पेयजल समस्या के निदान हेतु बनाई गई योजना झेडाझाल से कच्चा जल लेकर जलापूर्ति किये जाने की योजना की डी0पी0आर0 (विस्तृत प्राक्कलन) बना ली गई है ? यदि नहीं, तो कब तक बना ली जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

विस्तृत प्राक्कलन (डी0पी0आर0) माह अगस्त, 2014 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रदेश में विधवा पेंशन पाने वाले पात्र अभ्यर्थियों को योजना का लाभ न मिलने से अनुदान राशि बढ़ाये जाने की मांग

06-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधवायें पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखने के बावजूद भी बजट के अभाव में पेंशन पाने से वंचित रह जाती हैं ? यदि हां, तो क्या

सरकार विधवा पेंशन का बजट एवं पेंशन की अनुदान धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

जी हां।

जी हां।

गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित धनराशि से अधिक धनराशि का प्राविधान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्रस्तावित है। विधवा पेंशन की अनुदान राशि को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में पोषित वादों पर लिये गये निर्णय/संस्तुति के आधार भारतेन्दु नाट्य अकादमी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना

07-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में पोषित वादों पर लिये गये निर्णय/संस्तुति का विभिन्न विभागों में अनुपालन करने हेतु अधिनियम में क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिये गये निर्णय/संस्तुति संस्कृति विभाग के भारतेन्दु नाट्य अकादमी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का अनुपालन प्रमुख सचिव, संस्कृति द्वारा वर्षों से नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमार कोरी-

उ0प्र0 पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-1, 1996 की धारा-9 (2) में प्राविधान है कि राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष/आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई, का स्पष्टीकरण देते हुये ज्ञापन रखवायेगी।

इसी क्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-71 मु0सं0/64-1-2009 दिनांक 09 जनवरी, 2009 में व्यवस्था की गयी है कि आयोग द्वारा की जाने वाली संस्तुतियों पर सम्बन्धित विभाग द्वारा 01 माह के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित कर मा0 आयोग को 01 माह के भीतर कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

मा0 पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गयी संस्तुतियों का नियमानुसार अनुपालन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में मृत/स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के परिवारों को सहायता प्रदान करने विषयक

08-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष उत्तराखण्ड में आये भीषण आपदा में उ0 प्र0 के कितने व्यक्ति गायब हो गये अथवा मारे गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पीड़ित परिवारों को अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश के 1150 व्यक्तियों के मृत/स्थायी रूप से लापता होने की पुष्टि हुई है।

भारत के उप महारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) की गाइड लाइन की प्रक्रिया निर्देशानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उत्तराखण्ड से प्रदेश के 1150 मृत/स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों में से 948 व्यक्तियों के मृत प्रमाण-पत्र इस अनुरोध के साथ प्राप्त हुये है कि भारत के उप महारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) की गाइड लाइन की प्रक्रिया निर्देशानुसार कार्यवाही के बाद मृत प्रमाण-पत्र/आर्थिक सहायता वितरित की जाये।

जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से कोटेशन द्वारा कराये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

09-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से कोटेशन द्वारा कराये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-5नं0 321571, दिनांक 25-02-14 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

पत्र सं0 ख-5नं0 321571, दिनांक 25-02-14 के स्थान पर पत्र सं0 ख-5 नं0 321574, दिंक 25-02-14 प्राप्त हुआ है।

नगर पालिका परिषद मुगलसराय में कोटेशन द्वारा कराये गये कार्यों की जांच के आदेश जिलाधिकारी को दिये गये हैं। सम्प्रति जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बरेली महानगर में पेयजल, सीवरेज, सड़क सुधार आदि सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

10-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बरेली महानगर में पेयजल सीवरेज सड़क सुधार आवास जल निकासी, नाली निर्माण सालिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 247985 दिनांक 23-05-2014 नगर आयुक्त बरेली, नगर निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सन्दर्भित पत्र दिनांक 23-5-2014 नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

11-श्री रामचन्द्र यादव-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद की सीमान्तर्गत मोहल्ला हिमांयूपुर सब्जी मण्डी पुलिया से सुहाग नगर सीवर पम्पिंग स्टेशन तक नाले के सहारे बांयी तरफ वाले कच्चे रोड का निर्माण कराया जाना

12-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद की सीमा के अन्तर्गत मोहल्ला हिमांयूपुर सब्जी मण्डी पुलिया से सुहाग नगर सीवर पम्पिंग स्टेशन तक नाले के सहारे बांयी तरफ वाले कच्चे रोड का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-5, 233765, दिनांक 24-08-2013 जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर पालिका सीमा में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं, जिनमें मोहल्ला हिमायूंपुर सब्जी मण्डी पुलिया में सुहाग नगर सीवर पम्पिंग स्टेशन तक नाले के सहारे बायीं तरफ वाले कच्चे रोड तक का क्षेत्र भी शामिल है, में कराये जाने वाले सड़क, नाली व पेयजल कार्य हेतु कार्य योजना धनांक 11687.85 लाख की तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

13, 14 व 15-श्री मनीष असीजा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद्, की सीमान्तर्गत मोहल्ला ओझा नगर, निकट झील की पुलिया जलेसर रोड की आन्तरिक गलियों में नाली/गलियों के निर्माण का प्रकरण

16-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद की सीमा के अन्तर्गत मोहल्ला ओझा नगर, निकट झील की पुलिया जलेसर रोड की आन्तरिक गलियों में नाली न होने व कच्ची होने के कारण वहां के निवासियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त खराब गलियों एवं नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-5, 444451, दिनांक 20-08-2013 जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

नगर पालिका सीमा में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं, जिमनें मोहल्ला ओझा नगर निकट झील की पुलिया जलेसर रोड का क्षेत्र शामिल है, की आन्तरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण हेतु कार्ययोजना धनांक 11687.85 लाख की तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर पंचायत एवं नगरपालिकाओं में शुष्क शौचालय को बदलकर प्रवाहित शौचालय बनाने विषयक

17-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं धन आवंटन के बाद भी प्रदेश के नगर पंचायत एवं नगर पालिकाओं में शुष्क शौचालय है ? यदि हां, तो क्या सरकार शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालय में तब्दील करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत परिभाषित अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण का कार्य प्रदेश की सभी 630 नगरीय निकायों में कराया जा रहा है। उक्त सर्वेक्षण से चिन्हित अस्वच्छ शौचालयों (जिसमें शुष्क शौचालय भी सम्मिलित है) को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित कराये जाने का कार्य किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

नगरपालिका परिषद मोदीनगर में वार्ड नं0 24 के मोहल्ला देवेन्द्रपुरी के मकान संख्या-534 से गिन्नी देवी जूनियर हाई स्कूल तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने विषयक

18-श्री सुदेश शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर, जनपद गाजियाबाद शहर के मोहल्ला देवेन्द्र पुरी में मकान सं0 534 से गिन्नी देवी जूनियर हाई स्कूल तक मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने तथा बरसात के दिनों में पानी भर जाने के कारण उक्त मार्ग पर आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण घरों से निकलना दूभर हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर नाली बनवाकर इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर पालिका परिषद् मोदीनगर के वार्ड नं0-24 के मोहल्ला देवेन्द्र पुरी के मकान सं0 534 से गिन्नी देवी जूनियर हाईस्कूल तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की नाली व इन्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य हेतु आगणन रु0 13,80,000/- तैयार कर लिया गया है। बोर्ड की स्वीकृति होने पर नियमानुसार टेण्डर आमंत्रित कर कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका फिरोजाबाद सीमान्तर्गत 13 ग्राम सभाओं तथा अन्य क्षेत्र शामिल की आन्तरिक गलियों व नाली निर्माण हेतु कार्य योजना द्वारा कराये जाने विषयक पत्र

19-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद की सीमा के अन्तर्गत मोहल्ला न्यू रामगढ़ गली नं0 2 व 3 कल्लू यादव से ओम प्रकाश सविता बनिहाल सिंह यादव से राम अवतार यादव वाली गली एवं इन्द्रपुरी झील की पुलिया के पास की आन्तरिक गलियों में नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-5, 444464 एवं 444465, दिनांक 20-08-2013 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर पालिका सीमा में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं, जिनमें उक्त क्षेत्र भी शामिल है, की आन्तरिक गलियों व नाली निर्माण कार्य हेतु कार्ययोजना धनांक 11687.85 लाख तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

20-श्री मनीष असीजा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं तथा अन्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए वहां की सड़क, नाली आदि को ठीक करने जाने विषयक पत्र

21-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद की सीमा के अन्तर्गत मोहल्ला जगदम्बानगर, ओमनगर, सन्त नगर की पुलिया, खराब गलियों एवं नालियों तथा एन0एच0-2 सर्विस रोड वीनस ऑटो से जगदम्बा नगर होते हुए नया बाईपास चौबे जी की बगीची तक रोड जर्जर व खराब रोड के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-5, 233781, दिनांक 05-09-2013 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर पालिका सीमा में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं, जिनमें उक्त क्षेत्र भी सम्मिलित है, में सड़क, नाली व पेयजल हेतु कार्ययोजना धनांक 11687.85 लाख तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद फिरोजाबाद की सीमान्तर्गत शामिल 13 ग्राम सभाओं जिसमें मोहल्ला पीपल नगर, झलकारी नगर के पीछे जलेसर रोड, परशुराम कालोनी रैहना की आन्तरिक गलियों आदि का निर्माण कराया जाने विषयक पत्र

22-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद की सीमा के अन्तर्गत मोहल्ला पीपल नगर, झलकारी नगर के पीछे जलेसर रोड एवं परशुराम कालोनी रैहना की आन्तरिक गलियों में नाली न होने एवं कच्ची होने के कारण वहां के निवासियों को गन्दगी का सामना करना पड़ता है तथा उक्त खराब गलियों एवं नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-5, 444452, एवं ख-5, 444453, दिनांक 20-08-2013 जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर पालिका सीमा में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं, जिनमें मोहल्ला पीपल नगर, झलकारी नगर के पीछे जलेसर रोड, परशुराम कालोनी रैहना का क्षेत्र भी शामिल है, की आन्तरिक गलियों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कार्य योजना धनांक 11687.85 लाख तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद फिरोजाबाद की सीमान्तर्गत मोहल्ला संगमनगर, सत्कार टाकीज के पीछे कोटला रोड आदि आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र

23-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद की सीमा के अन्तर्गत मोहल्ला संगमनगर, सत्कार टाकीज के पीछे कोटला रोड, न्यू रामगढ़ क्षेत्र बजरंग नगर गली नं0 4, 5 तथा 6 एवं इसकी साइट सुदामा नगर नये बाईपास की गलियों एवं आन्तरिक गलियों में गलियों एवं नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-5, 444460, 444462 एवं 444463, दिनांक 20-08-2013 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

मोहल्ला संगमनगर सत्कार टाकिज के पीछे कोटला रोड की गलियों का निर्माण कार्य हो चुका है।

न्यू रामगढ़ क्षेत्र बजरंग नगर गली नम्बर-4, 5 एवं 6 तथा इसकी साइट वर्ष, 2008 में नगर पालिका परिषद, फिरोजाबाद की सीमा में सम्मिलित 13 ग्राम सभाओं के अन्तर्गत हैं, के निर्माण कार्य हेतु कार्ययोजना धनांक 11687.85 लाख की तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

24-श्री रामचन्द्र यादव-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद आगरा में अवधपुरी चौराहे एवं चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराया जाना

25-श्री काली चरन सुमन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत अवधपुरी चौराहा, बोदला रोड चौराहा, मिल्टन पब्लिक स्कूल चौराहा, शास्त्रीपुरम् चौराहा पर लगी स्ट्रीट लाइटें खराब हैं जिससे नागरिकों को आने व जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार फुंकी व खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अवधपुरी चौराहे एवं नोदला चौराहे पर लगी लाईटों का अनुरक्षण का कार्य नगर निगम, आगरा द्वारा किया जाता है एवं स्ट्रीट लाईट खराब हो जाने पर उन्हें ठीक कराया जाता है। मिल्टन पब्लिक स्कूल चौराहे एवं शास्त्रीपुरम् चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाईट का रख-रखाव आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थलों अवधपुरी चौराहों पर लगी 5 लाईट 250 वाट एवं बोदला चौराहे पर लगी 6 लाईट 250 वाट की मरम्मत करा दी गयी है जो सम्प्रति ऊर्जावान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में 90, आगरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गांव बाईपुर रोड से आर0एस0 पब्लिक स्कूल जाने वाला मार्ग पर कैलाश मन्दिर रोड तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण का प्रकरण

26-श्री काली चरन सुमन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव बाईपुर रोड से आर0एस0 पब्लिक स्कूल होकर जाने वाला मार्ग पर कैलाश मन्दिर रोड तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उक्त स्थल नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ अन्तर्गत शारदा नगर योजना के रतनखंड आवासीय कालोनी के आवास सं0 1/156 के सामने बने पार्क के आस-पास बिजली के खम्भे के स्ट्रीट लाइटें ठीक कराया जाना

27-श्री जय प्रकाश अचंल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ अन्तर्गत शारदा नगर योजना के रतनखंड आवासीय कालोनी के आवास सं0 1/156 के सामने बने पार्क के आस-पास बिजली के खम्भों में स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती हैं जिससे अंधेरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क के उत्तरी छोर पर बनी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शारदानगर योजना के अंतर्गत रतनखण्ड आवासीय कालोनी नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 मंगला विहार द्वितीय तिरंगा चौराहा के पास क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

28-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या 202101, दिनांक 7 जून, 2013 को कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 मंगला विहार द्वितीय तिरंगा चौराहा के पास की सड़कें जो 80 फिट से जुड़ी है, के सी0सी0 निर्माण विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-9597/नौ-अ-3-200(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी वार्ड 53 के मंगला विहार-1, राजपूत नगर एवं आदर्श विहार की क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराया जाना

29-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या 202089, दिनांक 7 जून, 2013 व 202099 दिनांक 6 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 के मंगला विहार-1 राजपूत नगर एवं आदर्श विहार (पूनम विहार) में रमेश शुक्ला के मकान से राम नाथ के मकान तक सड़क निर्माण विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्रों में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/नौ-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर छावनी वार्ड-53 मंगला विहार द्वितीय के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण का प्रकरण

30-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या 202098, 202082, दिनांक 6 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 मंगला विहार द्वितीय में श्री वी0 के0 श्रीवास्तव के घर से म0नं0 20 विजय कुमार के घर तक एवं डी-ब्लाक के श्यामनगर में म0 नं0 29,30, 37,39,41 आदि में बने अपार्टमेन्ट के सामने सड़क व नाली के निर्माण विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/नौ-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर छावनी वार्ड-53 नेशनल हाइवे-2 से आदर्श विहार होते हुए जवाहरपुरम् आदि सड़कों के निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

31-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या 202103, दिनांक 7 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 नेशनल हाइ-वे-2 से आदर्श विहार होते हुये जवाहरपुरम, मंगला विहार प्रथम का 120 फिट रोड, भवानी नगर, के0डी0ए0 कालोनी, देहली सुजानपुर रोड 6.5 किमी0 का सी0सी0 निर्माण विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/नौ-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के ओमपुरवा चन्द्र नगर लाल बंगला में तथा वार्ड 53 श्यामनगर डी ब्लाक की क्षतिग्रस्त सड़क बनाने विषयक

32-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या 202128 एवं 201229, दिनांक 7 जून, 2013 जो कानपुर नगर के ओमपुरवा चन्द्र नगर लाल बंगला में तथा वार्ड 53 श्यामनगर डी ब्लाक में सड़क बनवाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

पत्र संख्या-202128 द्वारा दर्शाये गये कार्य का व्ययानुमान तैयार कर लिया गया है जिसके स्वीकृतोपरान्त कार्य करा लिया जायेगा।

पत्र संख्या-201229 के स्थान पर पत्रांक 202129 प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा दर्शाया गया क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखऊ के आलमनगर के अन्तर्गत शहादतगंज वार्ड के 17 कोडर सरीपुरा कालोनी में सीवर लाइन एवं सड़क निर्माण कराया जाना

33-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के आलमनगर के अन्तर्गत सआदतगंज वार्ड के 17 कोडर सरीपुरा कालोनी में सीवर लाइन एवं सड़क निर्माण कार्य अधूरा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे पड़े सीवर लाइन एवं सड़क निर्माण का कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

लखनऊ सीवरेज प्लान के अनुसार जलकल लखनऊ के आलम नगर के अन्तर्गत सआदतगंज वार्ड-70, कोडर सरीपुरा कालोनी सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 के अन्तर्गत आता है। जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज परियोजना डिस्ट्रिक्ट-1, अनुमोदित लागत रु0 236.23 करोड़ के अन्तर्गत प्रस्तावित सीवर सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित क्षेत्र की पूर्व पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण नगर निगम, लखनऊ द्वारा करा दिया गया है। कच्ची सड़कों में डाले गये सीवर लाइन के पश्चात् अधिकांश सड़कें नगर निगम द्वारा अन्य निधियों से निर्मित की जा चुकी है। 17 कोडर सरीपुरा कालोनी का मुख्य भुईयन देवी मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं सरीपुरा कालोनी के विभिन्न क्षेत्रों यथा-कनकसिटी, सोनापुरम्, सरीपुरा मुख्य मार्ग का कार्य पूर्ण है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नगर के थाना उत्तर स्थित मोहल्ला नगर स्थित सार्वजनिक भूमि/मरघट पर कुछ दबंगों का कब्जा किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

34-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के थाना उत्तर स्थित मोहल्ला कौशल्या नगर स्थित सार्वजनिक भूमि/मरघट पर कुछ दबंगों के द्वारा जबरन कब्जा किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र (क्षेत्रीय जनता के शिकायती-पत्र संलग्नक सहित) संख्या ख-5 444204, दिनांक 06-09-2013 उपजिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

35-श्री मनीष असीजा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कानपुर नगर वार्ड-53 के कोयला नगर प्रयागपुरम् वार्ड नं0 31 बगाही बाबू पुरवा चिडीमार मुहल्ला आदि की सड़क एवं सीवर लाइन बिछाने विषयक पत्र कार्यवाही की मांग

36-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या 202121, 202122 एवं 202123, दिनांक 7 जून, 2013 जो कानपुर नगर वार्ड 53 के कोयला नगर प्रयाग पुरम् वार्ड नं0 31 बगाही बाबू पुरवां चिड़ीमार मुहल्ला एवं पी0ए0सी0 रोड श्यामनगर में आक्सफोर्ड रोड के सामने वाली सड़क एवं सीवर लाइन बिछाने विषयक थे, उन्हें प्राप्त हुये है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

पत्र संख्या-202121, 202122 द्वारा दर्शाये गये क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। पत्र संख्या-202123 द्वारा दिया गया कार्य श्यामनगर में आक्सफोर्ड रोड के सामने वाली सड़क का कार्य अवस्थापना निधि के अन्तर्गत पूर्ण करा दिया गया है।

वार्ड संख्या-31 बगाही बाबूपुरवा चिड़ीमार मोहल्ला की मुख्य सड़क के निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत आगणन की निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा स्वीकृतोपरान्त कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 77 गंगानगर, श्यामनगर में सड़क निर्माण विषयक पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

37-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202118, दिनांक 7 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 77 गंगानगर, श्यामनगर में रोड निर्माण कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/नौ-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 न्यू आजाद नगर बाईपास रोड चौधरी ढाबा के बगल से सतवटी रोड आदि सड़कों व नाली निर्माण कराये जाने विषयक पत्र

38-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या 202119, दिनांक 7 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 न्यू आजाद नगर बाईपास रोड चौधरी ढाबा के बगल से सतबरी रोड पर स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर तक श्याम नगर सी0 ब्लाक में स्थित बाबा सिद्धेश्वर मंदिर के चारों ओर रोड व नाली निर्माण कराये जाने एवं कोयला नगर प्रयागपुर में सड़क बनवाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित कार्य का व्ययानुमान तैयार कर लिया गया है जिसके स्वीकृतोपरान्त धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर की छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 भवानी नगर में बाई पास रोड आदि सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

39-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 202102, दिनांक 7 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 भवानी नगर में बाईपास रोड से मैरी जीसज स्कूल व सनराईज स्कूल तक खड़ंजा लगाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/नौ-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर छावनी वार्ड 53 में न्यू आजाद नगर यदुवंशी गेस्ट हाउस के पीछे एवं सी0ओ0डी0 कालोनी में नल, नाली एवं सड़क बनवाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

40-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या 202104 एवं 202115, दिनांक 7 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 में न्यू आजाद नगर यदुवंशी गेस्ट हाउस के पीछे एवं सी0ओ0डी0 कालोनी में नल नाली एवं सड़क बनवाने विषयक थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/नौ-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी वार्ड-44 शिव गोदावरी पुलिस चौकी के पास अधूरी सड़क निर्माण एवं सीवर नाली आदि के निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

41-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक 202117, दिनांक 7 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 44 शिव गोदावरी पुलिस चौकी के पास 100 मी0 अधूरी सी0सी0 सड़क निर्माण एवं मलिन बस्ती में सीवर एवं नाली निर्माण के संदर्भ में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित कार्य का व्ययानुमान तैयार कर लिया गया है जिसके स्वीकृतोपरान्त धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी वार्ड 53 श्याम नगर सी ब्लाक में स्थित बाबा सिद्धेश्वर मन्दिर के चारो ओर रोड व नाली निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

42-श्री रघुनन्द सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202119, दिनांक 7 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 श्याम नगर सी ब्लाक में स्थित बाबा सिद्धेश्वर मंदिर के चारों ओर रोड व नाली निर्माण कराये जाने के संदर्भ में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित कार्य का व्ययानुमान तैयार कर लिया गया है जिसके स्वीकृतोपरान्त धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर वार्ड 77 गिरिजा नगर पी0ए0सी0 रेलवे लाइन की तरफ शिव मन्दिर के पास कच्ची सड़क के निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

43-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202154, दिनांक 7 जून, 2013 एवं प0सं0 202095 दिनांक 6 जून, 2013 जो कानपुर नगर के वार्ड 77 गिरिजा नगर पी0ए0सी0 रेलवे लाइन की तरफ शिव मन्दिर के पास कच्ची सड़क एवं नाली निर्माण विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/नौ-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के वार्ड 53 रामपुरम् में निकट सोनी बैंड के पास की सभी कच्ची गलियों तथा नालियों के निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

44-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202094, दिनांक 6 जून, 2013 जो कानपुर नगर के वार्ड 53 रामपुरम् में निकट सोनी बैंड के पास की लगभग सभी कच्ची गलियों और नालियों के निर्माण कराने वार्ड 53 लिंक रोड जो 80 फिट से 120 फिट रोड सोनी बैंड वाली गली जिसका सीवर लाइन डालने के दौरान खड़ंजा उखाड़ दिया गया था, की मरम्मत/निर्माण कराने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/नौ-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के वार्ड 53 तथा वार्ड 77 में सड़क आदि बनवाये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

45-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 202074 एवं 202082 दिनांक 6 जून, 2013 जो वार्ड संख्या-53 मंगला विहार द्वितीय में श्री वी0के0 श्रीवास्तव के घर से मकान नं0 20 विजय कुमार के घर तक एवं कानपुर नगर छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड संख्या-77 गिरिजा नगर, रेलवे लाइन के किनारे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बने आवासों के सामने सड़क पर मलवा/मिट्टी डालकर सड़क बनवाने विषयक थे, उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/नौ-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

46-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद-बहराइच के पयागपुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा स्वीकृत मार्गों के निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

47-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जनपद बहराइच द्वारा स्वीकृत सम्पर्क मार्गों के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-5 नं0-400872/6922, दिनांक 03-06-2014 अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद बहराइच तथा प्रतिनिधि जिलाधिकारी, बहराइच व मुख्य विकास अधिकारी बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

जी नहीं, अपितु प्रश्न में उल्लिखित विषयवस्तु/प्रकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या-ख-5 नं0 400871/6922 दिनांक 03-06-2014 प्राप्त हुआ है।

मा0 सदस्य, विधान सभा के उपर्युक्त पत्र दिनांक 03-06-2014 के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बहराइच के पत्र संख्या-165/ ग्रा0अ0वि0/ प्रावि/ सं0मार्ग/2013-14 दिनांक 24-6-2014 द्वारा मान0 सदस्य, विधान सभा को वस्तुस्थिति/की गई कार्यवाही से अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अकेन्द्रीयित कर्मचारियों की वेतन नियमावली में संशोधन करके जारी अधिसूचना द्वारा प्राप्त विभिन्न आपत्तियों को निस्तारित करके अंतिम प्रकाशन कराया जाना

48-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकेन्द्रीयित कर्मचारियों की पेंशन नियमावली में संशोधन करके दिनांक 04 मार्च, 2014 को जारी अधिसूचना द्वारा आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं ? क्या यह सत्य है कि आपत्तियों की निर्धारित तिथि 19-03-2014 तक शासन को विभिन्न आपत्तियां प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करके अन्तिम प्रकाशन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

जी हां।

कुछ आपत्तियों/सुझावों को निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ से परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात यथा प्रक्रिया अन्तिम प्रकाशन कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

49-श्री रामचन्द्र यादव-

[दिनांक 03-07-2014 को अता0प्र0सं0-27 द्वारा उत्तरित]

जनपद बदायूं के थाना इस्लाम नगर में आई0पी0सी0, एस0सी0/एस0टी0 के अभियुक्तगणों आदि की गिरफ्तारी विषयक नेता विरोधी दल का पत्र कृत कार्यवाही

50-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं को सम्बोधित, मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा उ0प्र0 का पत्र 318/ने0वि0द0/2014, दिनांक 02-06-2014 जो कि जनपद बदायूं के थाना इस्लाम नगर में दिनांक 05-05-2014 को दर्ज मु0अ0सं0-138/14, अं0 धारा-363, 366 आई0पी0सी0, एस0सी0/एस0टी0 के अभियुक्तगणों आदि की गिरफ्तारी विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विषय पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वादी श्री नत्थू सिंह पुत्र श्री होरी सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम नूरपुर पिनौनी थाना इस्लामनगर ने अपनी पुत्री उम्र 15 वर्ष को दिनांक 23-4-14 को बिन्दलेश उर्फ प्रवेश पुत्र छग्गे निवासी ग्राम रामपुर खाद थाना रजपुरा सम्भल द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना इस्लामनगर पर मु0अ0सं0-138/2014 धारा 363/366 भादवि व 3 (2) 5 एससी/एसटी ऐक्ट पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी बिसौली द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान अपहृता को दिनांक 6-6-2014 को मय अभियुक्त बिन्दलेश के गिरफ्तार कर बरामद किया गया है। पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा अपहृता/पीड़िता का दिनांक 12-6-2014 को मा0 न्यायालय में धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत बयान दर्ज कराये गये, जिसमें उसने प्रवेश द्वारा बहला फुसला कर नहीं ले जाने, प्रवेश के साथ शादी कर लेने और स्वयं की मर्जी से अपने पति प्रवेश के साथ जाना बताया। मा0 न्यायालय ने पीड़िता को बालिग मानते हुये उसकी इच्छानुसार उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। विवेचना उपरांत अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 26-6-2014 को प्रेषित की जा चुकी है।

जिला देवरिया के तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत ग्राम-जमसड़ा में ग्राम प्रधान तथा कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा इन्दिरा आवास में की गयी अनियमितताओं एवं दोषियों की गिरफ्तारी विषयक नेता विरोधी दल का पंजीकृत कार्यवाही की जानकारी

51-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा उ0प्र0 का पत्र 121/ने0वि0द0/2014, दिनांक 13-02-2014 जो कि जिला देवरिया के तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत ग्राम जमसड़ा में ग्राम प्रधान तथा कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा इन्दिरा आवास में की गयी अनियमितताओं एवं अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 नेता विरोधी दल के संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त श्री प्रमोद कुमार भारती पुत्र श्री रामनरेश भारती निवासी ग्राम-जमसड़ा, थाना-लार, देवरिया के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित मु0अ0सं0-1033/2013, धारा-419, 420, 467, 468, 471, भा0द0वि0 आवेदक श्री प्रमोद कुमार भारती के प्रार्थना-पत्र पर थाना-लार, देवरिया में दिनांक 01-12-2013 को मा0 न्यायालय द्वारा धारा-156 (3) सी0आर0पी0सी0 के आदेश के अनुपालन में विरुद्ध यशवन्त कुमार पुत्र नथुनी (ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत जमसड़ा, थाना-लार) व तेज प्रताप, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जमसड़ा, थाना-लार व लल्लन पाण्डेय, वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम-जमसड़ा, थाना-लार, जनपद-देवरिया के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री रामसागर पाण्डेय द्वारा की जा रही थी। जिनके स्थानान्तरण के पश्चात वर्तमान में उक्त विवेचना उप निरीक्षक, श्री सूर्यभान सिंह द्वारा की जा रही है जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विवेचना का निस्तारण कराया जायेगा। मुकद्मा विवेचनाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के थाना दातागंज में दिनांक 16-5-2014 को दर्ज मुकदमें के अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी विषयक-पत्र के मुख्य बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु प्राप्त पत्र पर विवरण की जानकारी

52-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा उ0प्र0 का पत्र 317/ने0वि0द0/2014, दिनांक 02-06-2014 जो कि जनपद बदायूं के थाना दातागंज में दिनांक 16-05-2014 को दर्ज मु0अ0सं-571/14, अं0 धारा 363, 366 आई0पी0सी0 के अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मुख्य बिन्दु क्या थे एवं उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र में प्रार्थी जाहिद द्वारा अपनी पुत्री को दिनांक 9-5-2014 को राकेश, नन्हें, मुकेश व राजेश द्वारा बहला फुसला कर उठा ले जाने, मुख्य आरोपी राकेश व राजेश की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने एवं मुल्जिमानों द्वारा प्रार्थी के परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां देने विषयक मुख्य बिन्दु उल्लिखित हैं।

वादी श्री जाहिद पुत्र श्री छोट मियां निवासी ग्राम समरेर थाना दातागंज की सूचना पर दिनांक 16-5-2014 को थाना दातागंज पर मु0अ0सं0-571/2014 धारा 363/366/भादवि बनाम नन्हें, मुकेश, राकेश, राजेश के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के मध्य अभियुक्त नन्हें व मुकेश को दिनांक 18-5-2014 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त राकेश व राजेश की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास कराये जा रहे हैं।

जनपद बदायूं के थाना जरीफनगर में दर्ज मुकदमें के अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी विषयक नेता विरोधी दल का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा उ0प्र0 का पत्र 316/ने0वि0द0/2014, दिनांक 02-06-2014 जो कि जनपद बदायूं के थाना जरीफनगर में दर्ज मु0अ0सं-370/14, अं0 धारा 147, 366, 376, 452, 506 आई0पी0सी0, एस0सी0/एस0टी0 के अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मुख्य बिन्दु क्या थे एवं उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र में प्रार्थी बद्री पुत्र श्री बाबूराम निवासी ग्राम उस्मानपुर थाना जरीफ नगर की नाबालिग पुत्री को दिनांक 6-5-2014 को मुल्जिमान जमशेद, लोकेन्द्र, अभिषेक, कुंवरभान ठाकुर, व जय कुमार द्वारा जबरदस्ती गाड़ी में डाल कर दिल्ली ले जाने एवं उसके साथ दुराचार करने, स्थानीय

पुलिस की मिली भगत होने के कारण मुल्जिमानों की अभी तक गिरफ्तारी न होने, प्रार्थी के परिवार वालों को जाने से मारने की धमकी देने विषयक मुख्य बिन्दु उल्लिखित हैं।

घटना स्थल पेट्रोल पम्प उस्मानपुर का होने के कारण थाना जरीफ नगर पर अपराध सं0-370/2014 दर्ज कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सहसवान द्वारा की जा रही है। दिनांक 19-5-2014 को अपहृता के मा0 न्यायालय में धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान दर्ज कराये गये। अभियुक्त अभिषेक को दिनांक 5-6-2014 व अभियुक्त कुंवर भान को दिनांक 26-6-2014 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त छोटे लाल, मनोज के विरुद्ध धारा 147/323/504/506 भा0द0वि0 व अभियुक्त जय कुमार के विरुद्ध धारा 452/147/506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का अपराध पाया गया जिसमें 07 वर्ष से कम सजा होने के कारण मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार धारा-41 क द0प्र0सं0 के नोटिस तामील किये जा चुके हैं। अभियुक्त जमशेद अली, लोकेन्द्र, संजू की गिरफ्तारी शेष है। मा0 न्यायालय से उनके गैरजमानती वारण्ट प्राप्त किये जा चुके हैं। गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

प्रदेश में बढ़ रहे गम्भीरतम अपराधों में संलिप्त अपराधियों को लम्बे समय से दण्ड न मिलने से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने विषयक

54-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब के कारण ''गम्भीरतम अपराधों'' में संलिप्त अपराधियों को लम्बे समय तक दण्ड न मिल पाने से अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर नियंत्रण हेतु पूरे प्रदेश में पर्याप्त संख्या में ''फास्ट ट्रैक'' कोर्ट की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

55-श्री पंकज गुप्ता-

[3 सरे शुक्रवार के अता0 प्र0सं0-179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-चन्दौली के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के वार्ड नं0 12 चन्धासी में रामधनी चौहान के घर से शंकर जी के मन्दिर तक की गली को इण्टर लाकिंग टाइल्स लगाये जाने विषयक

56-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय के वार्ड नं0 12 चन्धासी में रामधनी चौहान के घर से शंकरजी के मन्दिर तक गली नीची होने के कारण हमेशा आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का उच्चीकरण करवाते हुये मार्ग में इन्टर लाकिंग टाइल्स लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

प्रश्न में इंगित गली में इण्टरलाकिंग व नाली के कार्य हेतु रु0 3,80,000 का आगणन तैयार कर लिया गया है। नगर पालिका परिषद् बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के वार्ड 53 के शिवपुरम् नगर कोयला नगर में सड़क बनवाने एवं बिजली के खम्भे लगवाने विषयक-पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

57-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 202136, दिनांक 07 जून, 2013 जो कानपुर नगर के वार्ड 53 के शिवपुरम् नगर कोयला नगर में सड़क बनवाने एवं बिजली के खम्भे लगवाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के संदर्भ में क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-कानपुर के छावनी वार्ड 53 न्यू आजाद नगर बाई पास रोड पर स्थित चौधरी ढाबा के बगल से सतवारी रोड महादेव मन्दिर तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराना

58-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी कानपुर नगर को सम्बोधित पत्र सं0 ख-5-नं0 454567, दिनांक 20 जून, 2013 जो जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 न्यू आजाद नगर बाईपास रोड पर स्थित चौधरी ढाबा के बगल से सतवरी रोड महादेव मंदिर तक का ध्वस्त मार्ग निर्माण के संदर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-कानपुर के कतिपय वार्डों में सड़क निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

59-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 202138, 202144 एवं 202147, दिनांक 07 जून, 2013 जो जनपद कानपुर नगर के वार्ड नं0 77 श्यामनगर ई ब्लाक तुलसी नगर एवं वार्ड नं0 53 के न्यू आजाद नगर, प्रियदर्शिनी स्कूल के सामने एवं मुक्तेश्वरी स्कूल के सामने सतवरी रोड पर स्थित यादव चौराहा से सम्पर्क मार्ग तक की सड़क बनवाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-कानपुर नगर के वार्ड नं0 53, 77 के कतिपय मुहल्लों के सम्पर्क मार्गों को ठीक कराये जाने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

60-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202138, 202144 एवं 202147, दिनांक 07 जून, 2013 जो जनपद कानपुर नगर के वार्ड नं0 77 श्यामनगर ई ब्लाक तुलसी नगर एवं वार्ड नं0 53 के न्यू आजाद नगर, प्रियदर्शिनी स्कूल के सामने एवं मुक्तेश्वरी स्कूल के सामने सतवरी रोड पर स्थित यादव चौराहा से सम्पर्क मार्ग तक की सड़क बनवाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के कतिपय वार्डों की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

61-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 202148 एवं 202150, दिनांक 07 जून, 2013 जो कानपुर नगर के वार्ड नं0 53 भवानी नगर में बाईपास से सनराइज स्कूल तक सी0सी0 रोड एवं वार्ड नं0 44 ओमपुरवा में राजीव नगर म0नं0 90 से 100 तक सड़क निर्माण विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-मुरादाबाद की तहसील एवं नगर पंचायत कांठ में मलमल गाज एवं बैन्डेज की धुलाई हेतु गरीब धोबियों हेतु धोबीघाट बनाया जाना

62-श्री अनीसुर्ररहमान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील एवं नगर पंचायत काँठ में मलमल गाज एवं बैन्डेज का बड़ा कुटीर उद्योग है यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त स्थान पर मलमल एवं गाज बैंन्डेज धोने के लिये धोबियों को घाट उपलब्ध नहीं है यदि हां, तो क्या सरकार गरीब धोबियों के लिये धोबी घाट बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

जी हां।

सम्प्रति कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-मऊ में स्थित मझवारा पुलिस चौकी स्थित जनपद-घोसी कोपागंज एवं मधुवन से काफी दूर होने के कारण, परिसीमन कराकर थाना बनाया जाना

63-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में स्थित मझवारा पुलिस चौकी, जो जनपद में स्थित घोसी कोपागंज एवं मधुवन से काफी दूरी पर होने के कारण वहां निगरानी नहीं कर पाती है, जिससे क्षेत्र में होने वाली घटनाओं पर काबू कर पाने में काफी विलम्ब होता है तथा अपराधी भाग जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार इसका परिसीमन कराकर इसे थाना बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, मझवारा पुलिस चौकी, थाना घोसी की अस्थायी पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी मझवारा में 01 उप निरीक्षक, 01 मुख्य आरक्षी तथा 04 आरक्षी नियुक्त हैं, जिनके द्वारा मझवारा पुलिस चौकी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 10 ग्रामों की निगरानी की जाती है और क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट से 800 मीटर की दूरी पर स्थित मोहल्लों से वाहनों को निकालने की वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था कराने विषयक

64-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र में ताजमहल पूर्वी गेट से 800 मीटर की दूरी पर अहमद बुखारी, नगला पैमा व गढ़ी बंगस मोहल्लों में वाहनों के निकलने के लिये वैकल्पिक मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि इन मोहल्लों में लगभग 1500 घरों की आबादी निवास करती है ? यदि हां, तो वाहनों के आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

दिनांक 15-6-2010 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की बैठक में निर्णय लिया गया कि बिजली घर के पास नगला पैमा के सामने 1.1 कि0मी0 के लम्बाई के कच्चे मार्ग को पक्का कर दिया जाये, जिसको वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाये। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त सड़क का निर्माण किया गया जिसका निर्माण पूर्ण होने से नगला पैमा, गढ़ी बंगस, अहमद बुखारी एवं इस क्षेत्र के समस्त निवासियों द्वारा सड़क का प्रयोग किया जा रहा है तथा इस क्षेत्र के सभी निवासी लाभान्वित हो रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बहराइच के क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड के ग्राम हैदराबाद मे कब्रिस्तान की चहारदीवारी बनाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

65-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड जरवल के ग्राम हैदराबाद में कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/ 13-14/क-5 नं0-239658/5300, दिनांक 10-11-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न में उल्लिखित पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5 नं0-239658/5300 दिनांक 10-11-2013 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु ग्राम हैदराबाद के ही कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कराने हेतु मा0 सदस्य का एक अन्य पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5 नं0-239658/5273, दिनांक 10-11-2013 शासन में प्राप्त हुआ है जिसे शासन के पत्र संख्या-मंत्री-958/52-2-2013-2(287)/13 दिनांक 07 मई, 2014 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, बहराइच को प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के ओमपुरवा, चन्द्रनगर लालबंगला में सड़क बनाये जाने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

66-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के ओमपुरवा, चन्द्रनगर लालबंगला में सड़क निर्माण के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-202129, दिनांक 07 जून, 2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के वार्ड-53 में एम0आई0 14 से एम0आई 1 के0डी0ए0 कालोनी तक रोड व नाली निर्मित करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

67-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-202151, दिनांक 07 जून, 2013 जो कानपुर नगर के वार्ड-53 में एम0आई0 14 से एम0आई0 1 के0डी0ए0 कालोनी तक रोड व नाली निर्माण विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित कार्य का व्ययानुमान तैयार कर लिया गया है जिसके स्वीकृतोपरान्त धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के रामपुरम्, श्याम नगर में बी0डी0 सिंह के दरवाजे से मंगला बिहार 2 तक की सड़क निर्माण हेतु प्राप्त प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

68-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के रामपुरम्, श्याम नगर में बी0डी0 सिंह के दरवाजे से मंगला विहार 2, 80 फिट रोड तक सड़क बनवाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या-202127, दिनांक 07 जून, 2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के वार्ड-53 श्यामनगर डी0 ब्लाक में सड़क निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

69-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड 53 श्याम नगर डी0 ब्लाक में सड़क बनवाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-202128, दिनांक 07 जून, 2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

प्रश्नगत कार्य का व्ययानुमान तैयार कर लिया गया है। स्वीकृतोपरान्त कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के वार्ड संख्या-77 गंगा नगर क्षेत्र वार्ड-53 रामपुरम् सोनी बैण्ड वाली रोड आदि बनाने तथा जल निकासी के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

70-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 202083, 202080 दिनांक 06 जून, 2013 एवं 202125 दिनांक 07 जून, 2013 जो कानपुर नगर के वार्ड सं0-77 गंगा नगर क्षेत्र वार्ड 53 रामपुरम् में सोनी बैण्ड वाली रोड एवं श्यामनगर में 57/1स 57/8, 63 बी0 के सामने की सड़क बनवाने एवं जल निकासी सम्बन्धी पत्र उन्हें प्राप्त हुये है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर महानगर की नगर निगम कानपुर में सफाई कार्य हेतु पर्याप्त सफाई कर्मियों की व्यवस्था कराने विषयक

71-श्री सत्यदेव पचौरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर की नगर निगम कानपुर में सफाई कार्यों हेतु सफाई कर्मचारी पर्याप्त संख्या में है और सफाई का कार्य नियमित रूप से हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

वर्तमान में नगर निगम, कानपुर में 2550 स्थायी सफाई कर्मचारी तथा 2164 संविदा सफाई कर्मचारी हैं। इस प्रकार नगर निगम, कानपुर में कुल 4714 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जो जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थितियों के सापेक्ष कम हैं। इन कर्मचारियों से बीटवार नियमित सफाई कार्य कराया जा रहा है तथा छूटे हुए क्षेत्रों मे रोस्टर बनाकर सफाई अभियान चलाकर सफाई कार्य कराया जा रहा है। कर्मचारियों की कमी को देखते हुए आउट सोर्सिंग से भी 615 सफाई कर्मी लगाकर सफाई कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर महानगर में नाला निर्माण के लिए 13वें वित्त आयोग से धन अवमुक्त कराकर गोबिन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रावतपुर वार्ड में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराना

72-श्री सत्य देव पचौरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में नाला निर्माण के लिये 13वें वित्त आयोग से धन स्वीकृत/अवमुक्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रावतपुर, मसवानपुर, सरायमीता एवं नौरय्याखेड़ा में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रावतपुर में बार्ड संख्या-57 के नवीन नगर में रामलला स्कूल से बकरमंडी तिराहा तक नाले पर स्लैब ढालने का कार्य, जिसकी लम्बाई 583 मी0 एवं लागत रु0 29.72 लाख तथा वार्ड संख्या-08 के मसवानपुर मे नीलम मेमोरियल स्कूल से रफाका नाला तक नाले का निर्माण कार्य, जिसकी लम्बाई 388 मी0 एवं लागत रु0 30.95 लाख है, का कार्य प्रगति पर है। सरायमीता के अन्तर्गत वार्ड संख्या-17 के अहिल्याबाई नगर से पनकी रेलवे स्टेशन होते हुये मुख्य नाले तक नाले का सुधार कार्य, जिसकी लम्बाई 1650 मी0 एवं लागत रु0 20.36 लाख है, की निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है। नौरयाखेड़ा के प्राइमरी स्कूल से सरोज टैक्सटाइल मिल तक नाला निर्माण का कार्य, जिसकी लम्बाई-203 मी0 एवं लागत रु0 24.32 लाख है, की निविदा दिनांक 21.06.2014 को आमंत्रित की गयी थी परन्तु कोई भी निविदा प्राप्त न होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा कैन्ट के अन्तर्गत आदर्श नगर कालोनी छीपीटोला में स्थित वाटर टैंक के क्षतिगस्त हो जाने के कारण पुनः नये वाटर टैंक का निर्माण कराने विषयक

73-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आगरा कैन्ट के अन्तर्गत आदर्श नगर कालोनी, छीपीटोला में निर्मल सदन जैन भवन के पीछे स्थित वाटर टैंक काफी समय से क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में है जिससे कभी भी कोई गंभीर हादसा व जनहानि होने की आशंका बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त वाटर टैंक को ध्वस्त कर उसके स्थान पर पुनः नये वाटर टैंक का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

प्रश्नगत भूमिगत जलाशय व पम्पिंग स्टेशन क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में हैं, परन्तु इस जलाशय के भूमिगत होने के कारण कोई गम्भीर हादसा व जनहानि होने की संभावना नहीं है। इस भूमिगत जलाशय की मरम्मत कार्य हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आईजी0 कार्यान्श के अन्तर्गत आगरा पेयजल परियोजना के स्वीकृत प्राक्कलन में प्रावधान किया गया था परन्तु परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर प्रश्नगत भूमिगत जलाशय की स्थिति मरम्मत योग्य नहीं रह गयी थी।

उक्त के अतिरिक्त इसी प्रागंण में ही स्थित उच्च जलाशय के मरम्मत का कार्य आगरा गंगाजल परियोजना के अन्तर्गत संतोषजनक रूप से पूर्ण किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

74-श्री रामचन्द्र यादव-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

नगरपालिका रूधौली जनपद-फैजाबाद की समस्याओं के निस्तारण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

75-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद रूदौली जनपद फैजाबाद की समस्याओं के निस्तारण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14-01-2014 पर आपके पत्रांक 444/वी आई0पी0/न0वि0/2014 द्वारा प्रमुख सचिव नगर विकास को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

संदर्भित पत्र दिनांक 14-01-2014 के स्थान पर दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर पत्रांक 444/वी0आई0पी0/न0वि0/2014 अंकित है तथा जो प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को संदर्भित है।

पत्र के साथ संलग्न मांग पत्र में उल्लिखित 12 बिन्दुओं में से कतिपय बिन्दुओं यथा-राज्य वित्त आयोग की धनराशि, ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे निकाय के खाते में अंतरित किया जाना, नगर निकायों के अध्यक्षों का शिष्टाचार भत्ता रु0 5000 से रु0 15000 किया जाना, 74वें संविधान संशोधन के तहत निर्धारित 18 सुधारों को लागू किया जाना आदि पर निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में सीवर लाइन का कार्य पूरा कराया जाना

76-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में निर्माणाधीन सीवर लाइन को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

शाहजहांपुर नगर के लिए वर्ष 1979-80 में अनुमानित लागत रु0 214.79 लाख की सीवर की योजना विरचित की गयी थी, जिसके तहत 4.53 कि0मी0 सीवर लाइन बिछाने का कार्य कराया गया था। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में शाहजहांपुर में सीवर लाइन की (अन्य कोई) योजना निर्माणाधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-हरदोई में थाना सुरसा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1988 के अन्तर्गत नाम दर्ज अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाना

77-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में विवेचनोपरान्त मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र/अन्तिम रिपोर्ट दायर करने की विधिक समय-सीमा क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि थाना सुरसा जनपद हरदोई में पंजीकृत मु0आ0सं0-104/2014 धारा-323/504 भा0द0वि0 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में विधि द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत आरोप-पत्र/अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस अभियोग के नाम दर्ज अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अनुसचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1988 न होकर 1989 है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में विवेचनोपरान्त मा0 न्यायालय में आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट दायर करने की विधिक समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किन्तु अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम-7(2) के उपनियम (1) के अधीन ''इस प्रकार नियुक्त अन्वेषक अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण तीस दिन के भीतर पूरा करेगा और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।''

थाना सुरसा जनपद हरदोई में मु0अ0सं0-104/2014 धारा-323/504 भा0द0वि0 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 24-02-2014 को पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना निर्धारित समय सीमा के अन्दर न हो पाने पर प्रक्रियानुसार उच्चाधिकारी से अतिरिक्त समय की अनुमति प्राप्त कर अभियोग में अंतिम रिपोर्ट संख्या-12 दिनांक 10-05-2014 मय जुर्म खारिजा रिपोर्ट सहित प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

अभियोग में अंकित धाराओं का अभियुक्तगणों पर अपराध नहीं पाया गया है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम बरेली में अधोमानक के टाइल्स न लगाये जाने हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

78-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम बरेली द्वारा गलियों में लगायी जा रही इण्टरलॉकिंग टाइल्स अधोमानक गुणवत्ता की है ? यदि हां, तो निम्न गुणवत्ता की इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाये जाने हेतु दोषियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम, बरेली द्वारा जिन गलियों में अधोमानक टाइल्स लगायी गयी हैं, उसकी जांच करायी गयी है। संबंधित ठेकेदारों को कोई भुगतान नहीं किया गया है तथा ठेकेदारों को अधोमानक टाईल्स हटाने हेतु नोटिस दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली महानगर में ध्वस्त पड़ी सीवर लाइनों को बदले जाने हेतु सरकार की कार्य योजना

79-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में ध्वस्त पड़ी सीवर लाइनों को बदलने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की जायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा उसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्तमान में बरेली शहर का अत्यधिक विस्तार हो चुका है एवं पूर्व से बनी सीवर योजनाओं से वर्तमान में सेन्ट्रल सिटी सीवरेज डिस्ट्रिक का भाग आच्छादित होता है जो नगर की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या वाला भाग है। वर्तमान में नगर की सीवरेज व्यवस्था को चार भागों में बांटा गया है तथा इस सम्बन्ध में एवं कन्सेप्ट नोट नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिट सेल, नई दिल्ली के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में सीवर लाइन डाले जाने

व ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाये जाने हेतु सर्वे का कार्य प्रगति पर है। अक्टूबर, 2014 तक डीपीआर प्रस्तुत किया जाना लक्षित है। योजनाओं को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2020 तक का लक्ष्य निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली महानगर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट प्रोजेक्ट पर खर्च की गयी धनराशि की जानकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगायी गयी आपत्ति के निस्तारण कर प्लाण्ट चालू कराने विषयक

80-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट पर वर्ष 2013-2014 में कुल कितना धन खर्च किया गया है ? क्या सरकार उक्त प्रोजेक्ट को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो अब तक व्यय किये गये धन हेतु जिम्मेदार कौन है तथा उसकी प्रतिपूर्ति किस प्रकार से की जायेगी ? यदि नहीं, तो उक्त प्रोजेक्ट उसी स्थान पर कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

बरेली महानगर में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना पर वर्ष 2013-14 में सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कुल रु0 4.63 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। इसके अतिरिक्त नगर निगम, बरेली द्वारा टिपिंग फीस के रूप में रु0 5.37 लाख आपरेटर को दी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के क्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकार-पत्र को निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण वर्तमान में प्लाण्ट का संचालन बन्द है। नगर निगम, बरेली द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति एवं प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके प्राप्त होने पर प्लाण्ट का संचालन नियमानुसार पुनः प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के वार्ड नं0-15 में स्थित सार्वजनिक कुआं की मरम्मत के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

81-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्दौली जनपद के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं0-15 बेचुपुर कैलाशपुरी (चौहान बस्ती) न0पा0प0 मुगलसराय में रामाश्रय चौहान व रामजी चौहान के पास स्थित सार्वजनिक कुआं की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग 5 एन-141000, दिनांक 12-08-13 अधिशासी अधिकारी न0पा0 परिषद् मुगलसराय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

सार्वजनिक कुएं की मरम्मत कार्य हेतु रु0 73,000.00 का आगणन तैयार किया गया है। नगर पालिका परिषद् बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के वार्ड नं0 12 चन्धासी में तीन सड़कों व नालियों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

82-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न0पा0 परिषद् मुगलसराय के वार्ड नं0-12 चन्धासी में तीन सड़कों एवं नालियों को बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग 5 एन-14063, दिनांक 28-01-2014 अधिशासी अधिकारी, न0पा0 परिषद् मुगलसराय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

राम धनी चौहान के घर से शंकर जी के मन्दिर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण के आगणन रु0 3,80,000, कालीचरण चौहान के घर से लेकर डोयनदास के घर होते हुए मेन रोड में नाला मिलाने के कार्य का आगणन रु0 21,36,000 व लल्लन कल्लन के घर से सन्त लाल चौहान के घर से होते हुए राजेन्द्र चौहान के घर तक चौका मरम्मत के कार्य का आगणन रु0 2,93,000 तैयार कर लिया गया है। नगर पालिका परिषद् बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली महानगर में नगर निगम बरेली में पेयजल के लिए गये सैंपल की जांच व मानक के अनुसार जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था की जानकारी

83-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में नगर निगम बरेली द्वारा कितने स्थानों से मार्च, 2014 से अब तक पेयजल के सैंपल एकत्र किये गये तथा उनमें से कितने स्थानों पर पीने का पानी अधोमानक पाया गया ? क्या सरकार मानक के अनुरूप शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कोई कार्य योजना तैयार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

बरेली महानगर में नगर निगम, बरेली द्वारा की जा रही जलापूर्ति में नियमित रूप से समुचित मात्रा में क्लोरीनेशन किया जा रहा है, जिसकी सैम्पलिंग कराकर प्रतिदिन क्लोरीन परीक्षण (ओ0टी0 परीक्षण) कराया जा रहा है। मार्च, 2014 से 15 जून, 2014 तक कुल 618 सैम्पल लिये गये, जिनका क्लोरीन परीक्षण कराया गया, सभी परीक्षण मानक के अनुरूप पाये गये। मानक के

अनुसार शुद्ध पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु जलापूर्ति में समुचित मात्रा में क्लोरीनेशन कराने हेतु सभी नलकूपों पर इलैक्ट्रानिक डोजर स्थापित करा दिये गये हैं, जिसके माध्यम से नियमित क्लोरीनेशन कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्राम बरखुरदारपुर तहसील बक्शी का तालाब का अधिग्रहण नगर निगम द्वारा होने की दशा में पानी, सड़क, सीवर की व्यवस्था सुचारु रूप से कराने विषयक

84-श्री अनीसुर्ररहमान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम बरखुरदारपुर, तह0 बक्शी का तालाब, जनपद लखनऊ का अधिग्रहण नगर निगम द्वारा वर्ष 2013 में कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थल पर बिजली, पानी, सड़क तथा सीवर की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में छावनी के अन्तर्गत 06 कि0मी0 दूरी पर स्थित कतिपय बस्तियों में सड़क, खड़न्जा व नाली के निर्माण कार्य को कराया जाना

85-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी के अन्तर्गत 06 कि0मी0 की दूरी पर स्थित नगला महादेव, नगला पैमा, नौपुरा, नगला मेवाती, सिद्धार्थनगर, गौबरचौकी, कच्ची सराय, नरीपुरा, तुलसीनगर, अब्बासनगर, दिनेशनगर, करीमनगर, बल्देवनगर आदि मलिन बस्तियों में सड़क, खड़न्जा व नाली की व्यवस्था न होने के कारण वहां जलभराव व गन्दगी की अधिकता के कारण क्षेत्र में भयंकर बीमारियां पनप रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मलिन बस्तियों में सड़क, खड़न्जा व नाली निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

बीमारियों का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। नौपुरा नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। शेष क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा समय-समय पर प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये गये हैं एवं वर्तमान में भी कराये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

86-श्री राजेश त्रिपाठी-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद कानपुर छावनी क्षेत्र के वार्ड 53 न्यू आजाद नगर में भूतेश्वरी मन्दिर से सतवरी रोड तक पूर्णतया कच्चा मार्ग निर्मित करने विषयक-पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

87-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5 नं0-454568, दिनांक 20 जून, 2013 जो जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 न्यू आजाद नगर में भूतेश्वरी मन्दिर से सतबरी रोड तक पूर्णतः कच्चा मार्ग के निर्माण विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-06-2001 के अनुसार सोसाइटियों की नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर छावनी वार्ड-54 में बाबूपुरवा ब्लाकों के पीछे नाली एवं खड़ण्जा बनाये जाने विषयक कार्यवाही

88-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-54 में न्यू लेबर कालोनी, बाबूपुरवा के ब्लाक नं0-265, 266, 267 के पीछे नाली एवं खड़न्जा क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग एवं नाली की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

श्रम विभाग की उक्त कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है। अतः प्रश्नगत कार्य कराये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत जल निगम द्वारा सीवर तथा वाटर लाइन डालने के दौरान खुदी अधूरी सड़कों का मरम्मत किया जाना

89-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जल निगम द्वारा सीवर तथा वाटर लाइन डालने के दौरान खुदी एवं अधूरी सड़क की मरम्मत करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी वार्ड-53 में सीवर लाइन बिछाने का कार्य अधूरा छोड़े जाने के कारण पूरा कराने की मांग

90-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 में आदर्श विहार राजपूत नगर में श्यामा सदन गेस्ट हाउस के पास सरोज विश्वकर्मा के मकान से फौजी रूद्रपाल के मकान तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित स्थल पर सीवर लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर छावनी क्षेत्र के वार्ड-53 के अन्तर्गत विभिन्न गलियों में सी0सी0 रोड बनाये जाने विषयक-पत्र पर कार्यवाही किया जाना

91-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-202081 एवं 202067, दिनांक 06 जून, 2013 जो जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 में वीरेन्द्र स्वरूप चौराहे के पास छप्पन भोग के ठीक पीछे वाली सड़क एवं न्यू आजाद नगर बाईपास रोड, राधिका विद्या मन्दिर से सतबरी रोड तक सी0सी0 रोड बनवाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

पत्र संख्या-202081 एवं 202067 द्वारा दर्शाये गये कार्य, वार्ड-53 में वीरेन्द्र स्वरूप चौराहे के पास छप्पन भोग के ठीक पीछे वाली सड़क का व्ययानुमान तैयार कर लिया गया है जिसकी स्वीकृतोपरान्त धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

न्यू आजाद नगर बाईपास रोड, राधिका विद्या मन्दिर से सतवरी रोड तक सी0सी0 रोड बनवाने के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों की नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली शहर के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 तथा वर्ष 2014-2015 में प्रस्तावित हैण्डपम्पों के विवरण की जानकारी

92-डा0 अरूण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प वर्ष 2013-14 में किस-किस योजना के अन्तर्गत लगाये गये हैं तथा वर्ष 2014-15 में कितने हैण्डपम्प प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार उसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला योजना (नगरीय पेयजल) में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बरेली नगर विधान सभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 8 नये एवं 24 रि-बोर हैण्डपम्पों का कार्य कराया जा चुका है तथा नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से 15 नये एवं 54 रिबोर हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य किया गया है। वर्ष 2014-15 में जिला योजना (नगरीय पेयजल) व अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता पर हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र के वार्ड 77 गंगा नगर क्षेत्र में सड़क एवं जल निकासी सम्बन्धी विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

93-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-202083, दिनांक 06 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 77 गंगा नगर क्षेत्र में सड़क एवं जल निकासी की व्यवस्था विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों की नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के चन्द्रनगर लालबंगला स्थित सरस्वती स्कूल के सामने एवं चिरित नगर सनिगवां रोड की सड़क एवं सीवर लाइन डालने विषयक-प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

94-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-202131 एवं 202132, दिनांक 07 जून, 2013 जो कानपुर नगर के चन्द्रनगर लालबंगला स्थित सरस्वती स्कूल के सामने एवं चिरित नगर सनिगवां रोड की सड़क बनवाने एवं सीवर लाइन डलवाने विषयक थे, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्रों में उल्लिखित क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। शासनादेश संख्या-5097/9-अ-3-2001(अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों की नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के अन्तर्गत बड़हलगंज फायर स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना

95-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम परसा में बड़हलगंज निर्माणाधीन फायर स्टेशन का हो रहा निर्माण कार्य कब तक पूरा कराकर सरकार उक्त फायर स्टेशन आरम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के अन्तर्गत बड़हलगंज फायर स्टेशन का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत बड़हलगंज एवं उसके निकट कस्बे के जल निकासी हेतु जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्य को पूरा कराया जाना

96-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के नगर पंचायत बड़हलगंज एवं उसके निकट के कस्बे के जल निकासी के लिए मास्टर प्लान के तहत नाला निर्माण का कार्य जल निगम द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य को सरकार द्वारा कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

मार्च, 2015 तक नाले से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के गोविन्द नगर क्षेत्र के वार्ड नं0-17 में क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को ठीक कराया जाना

97-श्री सत्यदेव पचौरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0 17 सरायमीता के पनकी ई ब्लाक एवं डी ब्लाक में वाटर लाइन तथा सीवर लाइन जगह-जगह क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त लाइनों को सरकार ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। पाइप लाइन में लीकेज आदि उत्पन्न होने पर मरम्मत का कार्य करा दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के गोविन्द नगर क्षेत्र की मलिन बस्तियों में वाटर लाइन एवं सीवर लाइन बिछाये जाने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी

98-श्री सत्यदेव पचौरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र की मलिन बस्तियों क्रमशः संजयनगर, विवेकानन्दनगर, महादेवनगर, रविदासपुरम्, जयप्रकाशनगर, नेहरू इन्द्रा मलिन बस्ती, पनकी भव सिंह, अम्बेडकरनगर, विजयनगर, दादानगर, कच्ची बस्ती एवं नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले गांव जमुई, बदुआपुर, सरायमीता, नौरैयाखेड़ा, दबौली गांव, हसनपुर, धामीखेड़ा, रावतपुर गांव, शाहपुर, सुजानपुर में वाटर लाइन एवं सीवर बिछाये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित बस्तियों में निर्माणाधीन/प्रस्तावित कार्य योजनाओं के विवरण निम्नवत् हैं :-

पेयजल योजना-

कानपुर नगर में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 योजनाएं यथा कानपुर पेयजल योजना फेज-I एवं कानपुर पेयजल योजना फेज-II निर्माणाधीन है। कानपुर नगर की संजय नगर, विवेकानन्द नगर, जय प्रकाश नगर, नेहरू इन्द्रा, अम्बेडकर नगर, दादानगर एवं कच्ची बस्ती, मलिन बस्तियां तथा नौरैया खेड़ा एवं रावतपुर गांव ग्राम फेज-I में तथा महादेव नगर एवं रविदासपुरम् मलिन बस्तियों तथा जमुई, बदुआपुर सरायमीता एवं दबौली ग्राम फेज-II में सम्मिलित हैं। इन बस्तियों/ग्रामों को उक्त दो निर्माणाधीन योजनाओं से लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। पनकी भाव सिंह मलिन बस्ती तथा हसनपुर, धामीखेड़ा, शाहपुर एवं सुजानपुर ग्राम फेज-III में सम्मिलित हैं, जिसका प्रस्ताव

भारत सरकार को भेजा गया है। योजना की स्वीकृति/धनावंटन प्राप्त होने के उपरान्त इन बस्तियों/ग्रामों में भी पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

सीवरेज योजना-

सीवरेज मास्टर प्लान के अनुसार कानपुर नगर को चार सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया गया है। प्रश्न में उल्लिखित बस्तियां सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-II में सम्मिलित हैं। एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-II में सीवरेज कार्यों हेतु योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के स्वीकृत होने एवं धनावंटन प्राप्त होने पर प्रश्न में उल्लिखित बस्तियों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में मल्टीसेक्टोरियल प्लान के अन्तर्गत क्षेत्र रूदौली स्थित कतिपय गांवों में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जाना

99-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012-13 में मल्टीसेक्टोरियल प्लान के अन्तर्गत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूदौली स्थित ग्राम पंचायत वनटिकरा राजस्व गांव थुम्हवा तथा ग्राम पंचायत पटवरिया राजस्व गांव पटवरिया का चयन स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण हेतु किया गया है ? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रूदौली स्थित ग्राम बनटिकरा तथा ग्राम पटवरिया का चयन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में मल्टीसेक्टोरल प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रश्नगत स्वास्थ्य उपकेन्द्रों हेतु शासनादेश सं0-जी0आई0-560/52-1-2014-1(100)/13, दिनांक 24-1-2014 द्वारा रु0 18.68 लाख स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 9.34 लाख की धनराशि सी0 एण्ड डी0एस0, लखनऊ को दिनांक 31-1-2014 को एम0ओ0यू0 करने के पश्चात् दिनांक 19-2-2014 को अवमुक्त की गयी है। इसके पश्चात् लोक सभा चुनाव 2014 सम्पन्न होने के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। वर्तमान में भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् मृदा परीक्षण का कार्य कराते हुए आगणन गठित कर दिया है तथा तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में मल्टीसेक्टोरियल प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के 11 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जाना

100-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में वर्ष 2012-13 में मल्टीसेक्टोरियल प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के 11 आंगनबाड़ी केन्द्रों

का निर्माण विधान सभा क्षेत्र रूदौली के गांवों को किया जाना था ? यदि हां, तो उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वर्ष 2013-14 में स्वीकृत हुआ है।

मल्टीसेक्टोरल प्रोग्राम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रूदौली स्थित बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के 08 ग्रामों में 11 नग आंगनबाड़ी केन्द्र 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-जी0आई0-28/14/52-1-2014-1(100)/13, दिनांक 24-1-2014 द्वारा रु0 49.50 लाख स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 24.75 लाख की धनराशि सी0 एण्ड डी0एस0, लखनऊ को दिनांक 31-1-2014 को एम0ओ0यू0 करने के पश्चात् दिनांक 19-2-2014 को अवमुक्त की गयी है। इसके पश्चात् लोक सभा चुनाव 2014 सम्पन्न होने के कारण आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। वर्तमान में भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् मृदा परीक्षण का कार्य कराते हुए आगणन गठित कर दिया है तथा तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में अल्पसंख्यकों के कबिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी बनाने हेतु चयनित गांवों में अवमुक्त धन के आधार पर निर्माण कराया जाना

101-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु जनपद बस्ती के लिये वर्ष 2012-13 में रु0 3 करोड़ 80 लाख रुपया शासन द्वारा अवमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना हेतु चयनित 60 गांव विधान सभा क्षेत्र रूधौली के भी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि धनराशि अवमुक्त होने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0 प्र0 से प्राप्त पत्र के आधार पर अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी के निर्माण हेतु जनपद बस्ती के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 199.65 लाख शासन द्वारा अवमुक्त किये गये हैं जिसके सापेक्ष 58 कब्रिस्तानों का चयन चहारदीवारी हेतु किया गया था जिनमें से विधान सभा क्षेत्र रूधौली के 17 स्थल हैं। उक्त के सापेक्ष 8 स्थलों पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 7 स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 2 स्थलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में सुनौली चेक पोस्ट पर भारी मात्रा में पकड़ा गया तस्करी का सोना, तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की मांग

102-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत में सोने पर आयात ड्यूटी बढ़ने के बाद प्रदेश से लगी नेपाल की सीमा होकर सोने की जबरदस्त तस्करी बढ़ने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 22 मई, 2014 के जनपद महराजगंज में सुनौली चेक पोस्ट पर भारी मात्रा में तस्करी का सोना पकड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

भारत में आयात ड्यूटी बढ़ाने के बाद से तस्करी नहीं बढ़ी है।

हां दिनांक 22-5-2014 को नेपाल सीमा सोनौली चेक पोस्ट पर लगी एस0एस0बी0 द्वारा 04 किलो, 500 ग्राम सोना बरामद किया गया जो सघन चेकिंग का ही परिणाम है, हां सरकार इस पर रोक लगाने के लिये कस्टम विभाग के एस0एस0बी0 स्थानीय पुलिस व स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा सघन चेकिंग कराई जा रही है एवं सूचना तंत्र का जाल फैलाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत वाल्मीकि समाज हेतु कम्युनिटी हाल का निर्माण कराया जाना

103-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत कोई कम्यूनिटी हाल है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बाल्मीकी समाज बस्ती में कम्यूनिटी हाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पालिका परिषद् लखीमपुर के निर्मलनगर, सिकटिहा, थरवरगंज एवं नौरंगाबाद मोहल्लों में तथा खीरी टाउन, मोहम्मदी एवं बरबर नगर पंचायतों के परिसरों में एक-एक सामुदायिक केन्द्र निर्मित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में मानसनगर, विजय नगर, कानपुर रोड में मदन कुण्डू जादूगर के घर के पीछे के आस-पास की क्षतिग्रस्त सड़कों को डामर रोड तक बनाया जाना

104-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानसनगर, विजयनगर, कानपुर रोड, लखनऊ में मदन कुण्डू जादूगर के घर के पीछे जयवीर सिंह सेवानिवृत्त दरोगा के घर से जे0बी0आर0

स्कूल तक जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क (गली) में बरसात के समय जल भराव हो जाने के कारण पानी भर जाता है, जिससे वहां के निवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क (गली) में खड़न्जा या डामर रोड बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क को बनाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक-3925/अ0प्र0प0/13 दिनांक 18-11-13 द्वारा अनापत्ति चाही गई थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-3192/एस0टी0/न0अ0(सा0)-5, दिनांक 12-12-13 द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत बीघापुर, जनपद उन्नाव स्थित गोदा बलेश्वर मन्दिर परिसर में पानी की व्यवस्था एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराया जाना

105-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत बीघापुर, जनपद-उन्नाव स्थित श्री गोदा बलेश्वर मन्दिर एवं श्री सन्दोही माता मन्दिर में स्त्रियों के लिए स्नान घाट तथा मृतक के तेरहवीं आदि के कार्यक्रमों के समुचित निष्पादन हेतु सरोवरों (तालाबों) का सौन्दर्यीकरण/पीने के पानी की व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्री गोदा बलेश्वर मन्दिर परिसर में 03 हैण्डपम्प व श्री सन्दोही माता मन्दिर में 01 हैण्ड पम्प से पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। सौन्दर्यीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर एफ0 स्थित श्री प्रताप पैलेस (सरकार गेस्ट हाउस) के पीछे पार्क की बाउन्ड्री तथा सौन्दर्यीकरण कराये जाने का प्रकरण

106-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर एफ कानपुर रोड लखनऊ स्थित श्री प्रताप पैलेस (सरकार गेस्ट हाउस) पीछे म0 नं0-एस0एस0-231, 232, 233, 234, 235, 258, 259, 260 व 262 के सामने स्थित पार्क की बाउन्ड्री वर्ष 2005-2006 में बनी थी ? क्या सरकार उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत कालोनी तद्समय विकास प्राधिकरण लखनऊ के अधीन थी, इस कालोनी का हस्तान्तरण नगर निगम, लखनऊ को वर्ष 2008 में हुआ था, तद्समय पार्क ठीक अवस्था में था।

वर्तमान में पार्क ठीक अवस्था में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनसंख्या के सापेक्ष पर्याप्त यातायात पुलिस बल न होने के कारण जाम से निजात दिलाने हेतु ठोस कार्य योजना बनाये जाने की कार्यवाही की मांग

107-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनसंख्या के सापेक्ष पर्याप्त यातायात पुलिस बल न होने के कारण बड़ी मात्रा में भीड़ से जाम लगने से जनता को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियंत्रण का कार्य कुशलता से किया जाता है। किसी विशेष स्थल पर किसी भी कारण से कभी जाम लग जाने की स्थिति में सम्बन्धित थाने के पुलिस बल और यातायात पुलिस बल मिलकर जाम को शीघ्रातिशीघ्र खुलवाते हैं। आवश्यकतानुसार जनपद के अन्य थानों के पुलिस बल को भी विशेष परिस्थितियों में ऐसी ड्यूटियों हेतु लगाया जाता है। प्रदेश पुलिस द्वारा यह निरन्तर प्रयास किया जाता है कि जाम लगने से आम जनता को कभी असुविधा न हो। विशेष अवसरों पर इस प्रयोजन हेतु अलग से ड्यूटियां भी लगाई जाती हैं।

प्रदेश में यातायात के बेहतर और अच्छे नियंत्रण तथा जनता को ऐसी समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :-

1-यातायात जाम न लगे इसके लिये पुलिस द्वारा यातायात नियमों के अनुपालन हेतु विशेष ध्यान देकर प्रवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

2-कई स्थलों पर सेतु निर्माण, मार्ग चौड़ीकरण, एकल दिशा मार्ग जैसी व्यवस्था की जाती है।

3-जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित कराकर वहां पर आवश्यक पुलिस बल तथा आवश्यकतानुसार एकल दिशा मार्ग आदि की व्यवस्था की जाती है।

4-भीड़-भाड़ तथा व्यस्ततम् बाजारों के आस-पास पार्किंग स्थलों का चिन्हींकरण कर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है।

5-बड़े-बड़े शहरों में यातायात नियंत्रण हेतु चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

6-बड़े-बड़े शहरों में यातायात नियंत्रण हेतु चौराहों पर यातायात संकेतक लगाये गये हैं।

7-नागरिकों, स्कूली छात्र व छात्राओं को यातायात नियमों के अनुपालन हेतु जागरूक व प्रेरित किया जाता है।

8-समय-समय पर प्रमुख मार्गो से अतिक्रमण हटवाने की भी कार्यवाही की जाती है।

9-जाम लगने वाले सम्भावित स्थानों पर अलग से ड्यूटी लगाई जाती है।

10-मार्ग से अचानक किसी वाहन के खराब हो जाने या अन्य किसी अवरोध के कारण लगने वाले जाम को शीघ्र खुलवाने के उद्देश्य से क्रेन व अन्य आवश्यक उपकरण पुलिस को उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेयजल की समुचित आपूर्ति के अन्तर्गत लगाये गये सरकारी खराब नलकूपों को ठीक कराये जाने का प्रकरण

108-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेयजल की समुचित आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने गर्मी के दिन में पेयजल की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की कोई कार्य योजना तैयार की थी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि लखनऊ शहर में जितने सरकारी नलकूप स्थापित किये गये हैं उनमें से सभी चालू नहीं हैं जिससे पेयजल की किल्लत हो गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

लखनऊ नगर की वर्तमान 30 लाख की जनसंख्या हेतु 150+15% (अनएकाउन्टेड वाटर) ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 518 एम0एल0डी0 की आवश्यकता होती है, जिसके सापेक्ष 355 एम0एल0डी0 नलकूपों से तथा 360 एम0एल0डी0 नदी/सर्फेस वाटर से अर्थात् कुल 715 एम0एल0डी0 की जलापूर्ति की जा रही है। इस प्रकार पर्याप्त जलापूर्ति हो रही है।

दीर्घकालिक रूप से पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु नगर में शुद्ध पेयजलापूर्ति कराये जाने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार सिटी डेवलपमेन्ट प्लान अनुमानित लागत रु0 1277.53 करोड़ वर्ष 2006-07 में बनायी गयी थी। इसके तहत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के प्रथम चरण के अन्तर्गत स्रोत विकास व आवर्धन तथा कुछ क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति पुनर्गठन एवं अन्य कुछ ऐसे क्षेत्रों, जहां पाइप जलापूर्ति व्यवस्था नहीं थी, में नई पेयजल परियोजनाओं हेतु लखनऊ पेयजल परियोजना प्रथम चरण भार-2, मूल स्वीकृत रु0 388.61 करोड़ (पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रु0 454.66 करोड़) एवं लखनऊ पेयजल परियोजना प्रथम चरण भाग-2, मूल स्वीकृत लागत रु0 146.565 करोड़ (पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रु0 186.886 करोड़) स्वीकृत हुई थी। इन परियोजनाओं के तहत अधिकांश

कार्य पूर्ण हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वित होने से पेयजलापूर्ति में वृद्धि हुई है और जनता को इसका लाभ मिल रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जलकल विभाग के 618 नलकूप अधिष्ठापित हैं, जिसमें 10 रि-बार योग्य, शेष 608 चालू हालत में हैं तथा जल निगम के 20 नलकूप रि-बोर कर इसी वित्तीय वर्ष 2014-15 के माह मई/जून में कमीशन्ड किये जा चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। लखनऊ शहर में नलकूपों के अतिरिक्त नदी/सरफेश वाटर से भी जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

109-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सदन में घोषणा द्वारा दिये गये हैण्ड पम्पों की नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र में लगाये जाने की कार्यवाही के निर्देश

110-श्री सत्यदेव पचौरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012-13 में पेयजल के निराकरण हेतु मुख्य मंत्री जी द्वारा सदन में 100 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प सभी विधान सभा क्षेत्रों में देने की घोषणा की गयी थी परन्तु नगरीय विधान सभा क्षेत्रों में उक्त हैण्डपम्प नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष नगरीय विधान सभा क्षेत्रों में नये हैण्डपम्प देने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के अन्तिम दिन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सभी मा0 सदस्यों को 100 हैण्डपम्प दिये जाने की घोषणा की गयी थी, जिसमें प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र सम्मिलित हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में शहरी क्षेत्रों में इसका वित्त पोषण आवास एवं शहरी नियोजन विधान के ''प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास'' मद से दिया जाना निर्देशित है।

मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में शहरी क्षेत्रों के लिए कुल 32.36 हैण्डपम्पों (अनुमानित लागत रु0 1846.06 लाख) का प्रताव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अवस्थापना निधि से प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित वार्डो की सड़कों को ठीक करने विषयक

111-श्री सत्यदेव पचौरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थापना निधि से दिनांक 18-2-2014 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित वार्ड नं0-8 मसवानपुर सराय में म0नं0-1 डी कलक्टर दिवाकर के मकान से 61 जे रामसेवक के मकान तक तथा वार्ड नं0-17 एस0एफ0 सुन्दरनगर में म0नं0-38 कैलाशपाल के मकान से म0 नं0-747 राधाकृष्ण तिवारी के मकान तक की सड़क का सुधार कार्य कराये जाने हेतु आग्रह किया गया था ? यदि हां, तो क्या सड़क निर्माण कार्य करा दिया गया ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कार्यों का चयन मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है।

यू0आई0डी0एस0एस0एन0टी0 योजनान्तर्गत नगर फिरोजाबाद में सीवर लाइन डालने का प्रकरण

112-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत नगर फिरोजाबाद में सीवर लाइन डालने का कार्य एवं सीवर पम्पिंग स्टेशन का कार्य काफी समय से लगभग पूर्ण हो चुका है परन्तु पूरी सीवर प्रणाली को सुचारु रूप से संचालित किये जाने के सबसे महत्वपूर्ण भाग एस0टी0पी0 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) का निर्माण न होने के कारण सीवेज को सीधे यमुना नदी के खादरों में छोड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार करोड़ों की धनराशि खर्च करने के बावजूद सीधे-सीधे यमुना नदी की रिवाइंस (खादरों) में छोड़े जा रहे सीवरेज/जहरीले अपशिष्ट को रोकने एवं इस प्रकार की भीषण लापरवाही भरे कृत्य के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

यूआईडीएसएसएमटी योजना के अन्तर्गत नगर फिरोजाबाद में सीवर लाइन डालने एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। योजना में प्रस्तावित 67 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट (आक्सीडेशन पौण्ड) हेतु 89 हे0 भूमि नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित स्थल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। इसके स्थान पर नगर पालिका द्वारा दूसरे स्थान पर मात्र 33 हे0 भूमि ही उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (आक्सीडेशन टाइप) को यू0ए0एस0बी0 आधारित तकनीक में परिवर्तन किया गया। उक्त परिवर्तन के क्रम में पुनरीक्षित प्राक्कलन गठित किया गया है, जिसकी स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्नगत कार्य को उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के क्रम में पूर्ण नहीं कराया जा सका है, जिसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्तमान वर्ष 2014 की स्थानान्तरण नीति लागू किये जाने का विवरण

113-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान वर्ष 2014 की स्थानान्तरण नीति लागू कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब और उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

स्थानान्तरण सत्र 2014-2015 हेतु सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 04-06-2014 को निर्गत कर दिया गया है। उक्त शासनादेश की प्रति[†] संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगारा में बिचपुरी फाटक से चोहटना सदरवन तक सीवर लाइन डालने हेतु सड़क खोदे जाने से क्षतिग्रस्त मार्ग तथा सीवर लाइन को निर्मित कराया जाना

114-श्री काली चरन सुमन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में बिचपुरी फाटक से चोहटना सदरवन तक सीवर लाइन डालने हेतु सड़क खोदकर छोड़ दी गयी है, जिससे नागरिकों के आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीवर लाइन डलवाकर सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद आगरा में बिचपुरी फाटक से चोहटना सदरवन तक सीवर राइजिंग मेन बिछाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। राइजिंग मेन हेतु जहां भी सड़क काटी गयी है, वहां मिट्टी भराई का कार्य कराया जा चुका है तथा 1580 मी0 लम्बाई में सड़क का कार्य भी पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष लम्बाई की सड़क का कार्य भी कराया जा रहा है।

जी हां।

3000 मी0 लम्बाई में 220 मी0 लम्बाई में कच्ची पगडण्डी होने के कारण सड़क बनाने का कार्य नहीं किया जाना है। 1580 मी0 लम्बाई में सड़क का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 1200 मी0 लम्बाई की सड़क का कार्य जुलाई, 2014 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ पर 136-139।

जनपद झांसी विकास खण्ड बड़ागांव में नगर पालिका परिषद् द्वारा पेयजल व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाये जाने की मांग

115-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी वि0 खण्ड-बड़ागांव के बरूआ सागर तालाब में आने वाले पानी को म0 प्र0 सरकार ने चेकडैम से अवरोधित कर दिया है जिससे तालाब सूखने के कारण बरूआ सागर नगरपालिका के जनमानस को पानी पीने का संकट एवं किसानों को खेती के लिये पानी का संकट पैदा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु तालाब में दो नलकूप लगवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका परिषद्, बरूआसागर, जनपद-झांसी में पीने के पानी का कोई संकट नहीं है, क्योंकि नगर पालिका परिषद्, बरूआसागर की पाइप पेयजल व्यवस्था बेतवा नदी पर बनाये गये दो इन्टेकवेल पर आधारित है। यहां पर पेयजलापूर्ति बरूआसागर तालाब के जल पर आधारित नहीं है।

नगर पालिका परिषद्, बरूआसागर की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 22090 थी तथा वर्तमान जनसंख्या लगभग 26530 आंकी गयी है। पेयजल व्यवस्था के निर्धारित मानक (135 लीटर, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) के अनुसार जल की वर्तमान आवश्यकता 4.12 एम0एल0डी0 है, जिसके सापेक्ष दोनों इन्टेकवेल की कुल क्षमता 6.23 एम0एल0डी0 है। नगर की वर्तमान जनसंख्या को निर्धारित मानक अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जाता है तथा उक्त नगर पालिका परिषद् के नागरिकों की पेयजल व्यवस्था पर बरूआसागर तालाब में आने वाले पानी की मात्रा घटने से प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बरूआसागर की जियो-हाइड्रोलाजी के दृष्टिगत भूजल उपलब्ध न होने के कारण यहां नलकूप सफल नहीं है। इस कारण नगर की पेयजल व्यवस्था पूर्व से ही सरफेस सोर्स (बेतवा नदी) पर आधारित है। इस कारण पेयजल हेतु बरूआसागर तालाब में नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

साइबर क्राइम, ए0टी0एम0 एवं बैंकिंग सम्बन्धी अपराधों के रोकथाम के लिये उच्च स्तरीय ट्रेनिंग कर अलग विंग तैयार कराने विषयक

116-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम ए0टी0एम0 एवं बैंकिग क्राइम हो रहे है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए पुलिस बल को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग से लैस कर एक अलग विंग बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में साइबर क्राइम के जो अपराध घटित हुए हैं, उसके सम्बन्ध में विगत तीन वर्षों में साइबर क्राइम के पंजीकृत अभियोगों की संख्या निम्नवत् हैं :-

वर्ष	पंजीकृत अभियोग
2011	122
2012	382
2013	740

प्रदेश में ए0टी0एम0 एवं बैकिंग के जो अपराध घटित हुए हैं, उसके सम्बन्ध में विगत 3 वर्षों में ए0टी0एम0 एवं बैकिंग के पंजीकृत अभियोगों की संख्या निम्नवत् है :-

वर्ष	पंजीकृत अभियोग	
	ए0टी0एम0	बैकिंग
2011	46	58
2012	80	161
2013	223	221

साइबर क्राइम, ए0टी0एम0 एवं बैकिंग सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में साइबर क्राइम सेल का गठन किया गया है। साइबर क्राइम की रोकथाम एवं विवेचनात्मक प्रगति तथा अन्य गहन जानकारी हेतु 138 पुलिस उपाधीक्षकों/निरीक्षकों/निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों सहित 163 आरक्षियों को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है। 75 निरीक्षकों को रिफ्रेसर कोर्स भी कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत झांसी शिवपुरी हाईवे से रामगढ़-नयाखेड़ा में क्षतिग्रस्त मार्ग एवं पुलिया का निर्माण कराने विषयक

117-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड-बबीना अन्तर्गत झांसी शिवपुरी हाइवे से रामगढ़-नयाखेड़ा मार्ग क्षतिग्रस्त है तथा पुलिया पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जी हां।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एक 'राजकीय कार्यदायी विभाग' है, जिसे निर्माण कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता है। यह विभाग अन्य विभागों/संस्थाओं एवं विभिन्न निधियों से प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्यो को 'डिपाजिट' के रूप में सम्पादित कराता है। बजट के अभाव में प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं पुलिया का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा कराया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोक्तानुसार।

जनपद झांसी विकास खण्ड-बड़ागांव के क्षेत्र बबीना के गडोरा से हाजीपुरा तक क्षतिग्रस्त मार्ग को बनाये जाने का प्रकरण

118-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी विकास खण्ड-वडागांव के निर्वाचन क्षेत्र बबीना के गडोरा से हाजीपुरा तक काको सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है जिससे वहां

के नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

जी हां।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एक 'राजकीय कार्यदायी विभाग' है, जिसे निर्माण कार्यो हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता है। यह विभाग अन्य विभागों/संस्थाओं एवं विभिन्न निधियों से प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्यो को 'डिपाजिट' के रूप में सम्पादित कराता है। बजट के अभाव में प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग को निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा बनवाया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोक्तानुसार।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(11.10 बजे) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014†

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अनुपूरक कार्य सूची को लेता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी, 11 बजकर 25 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।)

12 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।

---

† दिनांक 11 जुलाई, 2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(वेल में बैठे हुए बहुजन समाजपार्टी के सदस्य नारे लिखे हुए बैनर दिखाने लगे तथा सरकार विरोधी नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पुनः उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चलें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, आज चाहे चीनी हो, पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस हो सभी के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मंहगाई की मार से जनता की कमर टूट चुकी है और इसके खिलाफ भीषण जन आक्रोश है.....

श्री अध्यक्ष के अनेक बार अनुरोध करने पर भी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपने-अपने आसनों पर वापस नहीं गये और फ्लोर पर सरकार विरोधी नारे लगातार लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा

(12.21 बजे) नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 07-07-2014 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 42 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की गई :--

पहली सूचना श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय की जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्र स्थित निबैया ताल की पुनः खुदाई कराके मूल रूप में स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री जगराम पासवान की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र की कतिपय ग्राम सभाओं की जमीन पर किये जा रहे अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय इलाकों में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सत्यवीर मुन्ना की जनपद लखनऊ के मोहान रोड स्थित अशोक नगर मोहल्ले में सड़कों व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के कर्मियों को छठा वेतनमान का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्री उदयराज यादव की उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 की विभिन्न योजनाओं के पुनः संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की जनपद महाराजगंज अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के विकास खण्ड बृजमनगंज के कस्बा बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री राम मगन रावत की जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत मदहा झील से सम्बन्धित ड्रेन की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी की नगर पंचायत भाटपार में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अली युसुफ अली की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के कतिपय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के राशन के डीलरों से डी0एस0ओ0 द्वारा अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में पी0एच0सी0 में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास की कतिपय जर्जर सड़कों की

मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की फिरोजाबाद नगर में कांच उद्योग के कर्मियों की बस्तियों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की यमुना नदी की सफाई हेतु सम्यक् समाधान निकाले जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री राधेलाल रावत की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गरीब किसानों की जमीन का अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि कृपया सभी सूचनाओं को स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। शेष सभी सूचनायें भी स्वीकार की जाती हैं जिनके नाम निम्नवत् है :-

श्री ममतेश शाक्य, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, डा0 अरूण कुमार, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री काली चरन सुमन, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री फेरनलाल अहिरवार, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री दीपक पटेल, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री उमेश पाण्डेय, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री उमाशंकर, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री गयादीन अनुरागी, श्री पूरन प्रकाश, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री अमर पाल शर्मा, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री मदन चौहान, श्री सुरेश बंसल व श्री दलवीर सिंह।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्र स्थित निबैया ताल की पुनः खुदाई कराके मूल रूप में स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ 'गामा' पाण्डेय-

[मान्यवर,

जनपद इलाहाबाद में मेजा विधान सभा के अन्तर्गत निबैया ताल सैकड़ो एकड़ में स्थित है। इस ताल में मेजा व उरूवा ब्लाक के तमाम गांव का पानी एकत्रित होता है और यह जल संचय का एक मात्र साधन है। इसी ताल से लेहड़ी, अमिलिया व सोनाई ड्रेन के माध्यम से गंगा जी में पानी गिराया जाता है। यह ताल बहुत पुराना है जिससे इसकी क्षमता कम होती जा रही है और इसके चारों तरफ से कब्जा होता जा रहा है।

यह अति महत्वपूर्ण अविलम्बनीय प्रश्न है। क्या मा0 सिंचाई मंत्री जी इसकी पुनः खुदाई कराके मूल रूप में स्थापित करगें ? यदि हां तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?]

जनपद बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र की कतिपय विधान सभाओं की जमीन पर किये जा रहे अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम पासवान-

[मान्यवर,

सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर त0 उतरौला, ब्लाक क्षीदत्तगंज ग्राम सभा बनगंवा व ग्राम ग्राम सभा सहदैइया में सरकारी अस्पताल व ब्लाक की जमीन भूमि माफियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। जो कि क्षेत्रीय लोग काफी आक्रोशित है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे सादर निवेदन है कि अस्पताल व ब्लाक की सरकारी जमीन को भू-माफियों द्वारा खाली करवाने की आदेश देने की कृपा करें।]

जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय इलाकों में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गंभीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर में बिजली की विकट समस्या है।

मान्यवर,

हमारे विधान सभा का सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि आये दिन ओवर लोड के कारण ट्रांसफार्मर जल जाता है, तथा तार गरम होकर टूट जाता है, जिससे व्यापारी, किसान, क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में 132 के0वी0ए0, 33/11 के0वी0ए0 का नया विद्युत उप केन्द्र तथा सैदपुर से सादात को सिंगल सर्किट को डबल सर्किट कर दिया जाय।

अतः इस लोक महत्व के गंभीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल नव निर्माण एवं वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर में विद्युत उप केन्द्र बनाने हेतु जमीन उपलब्ध है, जिससे किसान तथा क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा और हमारे विधान सभा का विकास हो सके।]

विधान सभा क्षेत्र अमांपुर कासगंज के कतिपय स्थानों पर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर के निम्न स्थानों पर विद्युतीकरण कराया जाना जनहित में अतिआवश्यक है :-

1-ग्राम कन्डेलगंज ग्राम पंचायतें चन्दपुरा, गउपुरा

2- ग्राम नगला पलटू, ग्राम पंचायतें चन्दपुरा, गउपुरा

3-ग्राम नगला गिरधारी ग्राम पंचायत मटेना

4-ग्राम ताली विकास खंड सहावर

5-ग्राम हरपालपुर

6-ग्राम नगला राजन ग्राम पंचायत सिकेहरा

7-ग्राम नगला कपेटा ग्राम पंचायत सिकेहरा

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

8-ग्राम नगला तेज सिंह ग्राम पंचायत अर्जुनपुर कदीम

उल्लेखनीय है कि जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर की उपरोक्त ग्राम पंचायतों के निवासियों हेतु विद्युतीकरण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर मैं विधान सभा क्षेत्र अमांपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

जनपद लखनऊ के मोहान रोड स्थित अशोक नगर मोहल्ले की सड़कों व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर मुन्ना-

[मान्यवर,

मैं आपका ध्यान लखनऊ जनपद के मोहान रोड स्थित अशोक नगर मोहल्ले की टूटी-फूटी नालियों व अति क्षतिग्रस्त सड़कों की ओर ले जाना चाहता हूं। उक्त मोहल्ले में 05 वर्ष पूर्व सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु सड़कों की खुदाई कर दी गयी थी जिसके उपरान्त 05 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया है। सड़कों के टूटे फूटे होने के कारण नालियों से बहने वाला गन्दा पानी भी सड़कों पर भरा रहता है व सड़कों की क्षतिग्रस्त दशा के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिससे वहां के लोगों में अत्यन्त रोष व्याप्त है। जिनका निर्माण शीघ्र कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के कर्मियों को छठा वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[मान्यवर,

मैं आपका ध्यान उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड जवाहर भवन लखनऊ की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें लगभग 90 कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें वर्तमान में चौथे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतन दिया जा रहा है जबकि प्रदेश में अन्य राज्य कर्मचारियों व निगमों को छठे वेतनमान का लाभ वर्ष 2006 से दिया जा रहा है।

इस मंहगाई में कर्मचारियों को अपना परिवार पालने में आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है मैं चाहता हूं कि उक्त निगम के कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें छठे वेतनमान का लाभ तत्काल दिलाये जाने के आदेश देने का कष्ट करें अथवा निगम को बन्द कर कर्मचारियों का समायोजन अन्य विभाग में कर दिया जाये।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर उक्त प्रकरण को नियम-301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0प्र0 अल्प संख्यक वित्तीय विकास निगम लि0 की विभिन्न योजनाओं के पुनःसंचालन हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज-

[मान्यवर मैं आपका ध्यान उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड जवाहर भवन लखनऊ की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां 2005-2006 से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा प्रदेश के उक्त निगम को कोई भी धनराशि उपलब्ध न कराये जाने से प्रदेश में अल्प संख्यकों हेतु कोई भी योजना संचालित नहीं की जा रही है राष्ट्रीय निगम द्वारा चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना में देय धनराशि वापस करने हेतु 05 विकल्प दिये गये हैं जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय निगम की कुल देय धनराशि 79.76 करोड़ से सापेक्ष यदि सरकार 65.38 करोड़ रुपये उपलब्ध करा देती है तो धनराशि रु0 21.82 करोड़ माफ कर दी जायेगी तथा राष्ट्रीय निगम प्रदेश में पुनः अल्पसंख्यकों हेतु धनराशि देने को तैयार है जिससे अल्पसंख्यकों के लिये विभिन्न योजनायें चलाई जा सकती है।

निगम के वेतन मद व अन्य प्रशासनिक व्यय को वसूली के माध्यम से ही पूरा किया जा रहा है। निगम की समस्त संचालित योजनायें बन्द होने के कारण वसूली पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर अल्प संख्यकों के विभिन्न योजनाओं के पुनः संचालन हेतु राष्ट्रीय निगम को रु0 65.38 करोड़ की धनराशि सरकार से उपलब्ध कराने हेतु इसे नियम-301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।]

गोरखपुर दीवानी कचहरी के 2 मुख्तार खाने तथा वादकारी कक्षों के जर्जर होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, गोरखपुर कचहरी में करीब 100 वर्ष पूर्व दो मुख्तारखाने तथा करीब 50 वर्ष पूर्व 3 वादकारी कक्ष बनाये गये थे। अत्यन्त पुराने होने तथा सही अनुरक्षण न होने के कारण पांचों कक्ष अत्यन्त जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं।

वादकारियों तथा माननीय अधिवक्ताओं को अब इनके नीचे बैठने में डर लगता है। यदि दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो गयी तो यह पूरे प्रदेश के लिये बहुत दुःखद घटना होगी।

अतः प्राथमिकता के आधार पर दोनों मुख्तारखानों तथा तीन वादकारी कक्षों का पुनर्निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के तहत इस सरकार को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।]

जनपद महराजगंज अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा को विकास खण्ड बृजमनगंज के कस्बा बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के विकास खण्ड बृजयनगंज का कस्बा बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने की सभी शर्तें पूरी करता है और इसे टाउन बनाये जाने की काफी समय से

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में शासन ने सर्वे कराया और निरीक्षण कराकर नक्शा बनवाया जा चुका है। यह कस्बा 20 हजार से अधिक आबादी एवं जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहां सी0एच0सी0 एवं रेलवे स्टेशन भी है। भौगोलिक एवं जनसंख्या तथा क्षेत्रफल सभी दृष्टि बृजमनगंज कस्बा टाउन एरिया का अर्हता रखता है विकास की दृष्टि से बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बृजमनगंज को टाउन एरिया न बनाये जाने से विकास के अभाव में क्षेत्र के निवासियों असंतोष है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये विकास खण्ड बृजमनगंज के कस्बा बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बुलन्दशहर में नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी द्वारा वर्ष 2011 में क्रय किये सामानों में की गई घोर अनियमितताओं एवं घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री, उ0प्र0 को अनेक शिकायतें भेजी गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने संदर्भ का संज्ञान लेते हुये नगर विकास अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त शिकायतों को जांच हेतु जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को प्रेषित किया गया तथा आख्या चाही गयी। किन्तु जिला प्रशासन, बुलन्दशहर इन शिकायती प्रकरण पर गम्भीर नहीं है तथा शासन के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। नगर विकास अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जांच आख्या प्रेषित करने हेतु पत्र संख्या 150 एम0/नौ 4-13-133 ई0ओ0/10, दिनांक 27-05-2013 पत्र सं0 2156/नौ-4-13-133ई0ओ0/10 दिनांक 09-12-2013 पत्र सं0 3627/नो-4-13-133 ई0ओ0/10 दिनांक 19-12-2013 पत्र सं0 609/नौ-4-13-133 ई0ओ0/10 दिनांक 17 जनवरी, 2014 के माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच आख्या मांगी गयी है। एक करोड़ 20 लाख का सामान क्रय किया गया जिससे पालिका परिषद् को लगभग 46 लाख रुपये की क्षति हुई है। किन्तु भ्रष्टाचार के इस गम्भीर प्रकरण पर जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा 02 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में जल निगम द्वारा जलापूर्ति हेतु बिछाई गई लाइन में आपूर्ति चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत कई स्थानों पर कुछ वर्ष पूर्व जल निगम द्वारा नई जलापूर्ति हेतु बिछाई गई है जो कि अभी तक चालू नहीं हो पाई है। अवगत कराना है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कि पुरानी एवं क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों से जलापूर्ति होने के कारण जलापूर्ति का अधिकांश भाग प्रदूषित एवं व्यर्थ हो जाता है। जिसके कारण जनता को पेयजल जैसे गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। मेरे संज्ञान में है कि नई बिछाई गई लाइन बिल्कुल भी सही नहीं है इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर नई बिछाई गई लाइनों से तत्काल जलापूर्ति चालू कराना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के महानगर के उत्तरी व दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरूण कुमार-

[मान्यवर मैं आपका ध्यान विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महानगर बरेली शहर उत्तर व दक्षिण दो हिस्सों में बंटा हुआ है। इसके दक्षिणी एरिया में अधिकांशतः सरकारी कार्यालय व रेलवे स्टेशन है। जबकि उत्तरी हिस्से में रिहायशी इलाके हैं। इनको जोड़ने वाली इस प्रमुख सड़क पर यातायात घनत्व बहुत अधिक है तथा बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन लगातार होता है। बरेली महानगर के आम नागरिकों तथा स्कूली बच्चों का भी आवागमन इसी सड़क से है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण अक्सर दुर्घटनायें होती रहती है। इस सड़क पर थाना बारादरी से बरेली कालेज तक ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैने पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया है किन्तु अब तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त सड़क पर एक ओवरब्रिज का निर्माण जनहित में अतिशीघ्र कराने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर मा0 मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।]

लखनऊ फैजाबाद मार्ग पर मटियारी चौराहे के पास के कुछ क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[महोदय, मैं आपका ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

लखनऊ फैजाबाद मार्ग पर मटियारी चौराहे के पास दाहिने तरफ पाल पी0सी0ओ0 से पार्क होते हुये यशोदानगर श्री जगदीश सिंह के घर तक तथा हिन्तुस्तान मोटर्स के बगल बायें तरफ गैस गोदाम से लगा हुआ मोहल्ला रहमानपुर गनेशपुर में एडवोकेट रामबख्श सिंह के घर तक सीवर लाइन न होने स्थानीय नागरिकों को काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार शासन व प्रशासन से यहां सीवर लाइन बिछाये जाने का अनुरोध किया है किन्तु कोई सुनवाई न होने से स्थानीय जनता में भारी निराशा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थानों पर नागरिकों की सुविधा के लिये जनहित में सीवर लाइन बिछाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत मदहा झील से सम्बन्धित क्षेत्र की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन रावत-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत मदहा झील से निकलने वाली इन्हौना ड्रेन जिसकी लम्बाई लगभग 46-47 कि0मी0 की है तथा दो वर्ष पूर्व विश्व बैंक के द्वारा लगभग 7 कि0मी0 की खुदाई करायी गयी थी, शेष वैसे ही पड़ी हुई है जिससे जल निकासी न होने के कारण यहां के किसानों को खेती से वंचित रहना पड़ता है जिससे किसानों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है।

अतः महोदय इस अति लोक महत्व व जनहित को देखते हुये सम्बन्धित मदहा झील की खुदाई कराने की मेहरबानी करें जिससे यहां के किसानों को भुखमरी से बचाया जा सके जिसके लिये संबंधित क्षेत्र की जनता व मैं स्वयं आपके प्रति व सरकार के प्रति आभारी रहेंगे।]

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी के नगर पंचायत भाटपार में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष उपाध्याय

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी जनपद देवरिया के अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद देवरिया के भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत भाटपार में नाली का निर्माण न होने के कारण भारी जल भराव की समस्या बनी रहती है। जल भराव के कारण क्षेत्रीय नगरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा जल भराव के ही कारण आम जनता एवं स्थानीय लोग तमाम तरह की गम्भीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। उक्त नाली निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है जनहित को ध्यान में रखते हुये तत्काल नाली का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल नाली निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के कतिपय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अली युसुफ अली-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-रामपुर के वि0ख0 स्वार के बिलासपुर स्वार मार्ग से इमरताराय के मजरे कल्यानपुर, वि0ख0 सैदनगर में लालपुर ताण्डा मार्ग से शिकारपुर पहाड़पुर,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वि0ख0-स्वार के रजानगर मिलक खानम मार्ग से अव्वास नगर होते हुये हमीरपुर तक डामर रोड एवं रपटा पुल का निर्माण, वि0ख0 स्वार में बिजड़ा रजपुरा तक डामर रोड, वि0ख0 स्वार के भोट शिवपुरी मार्ग से मजरा विराम तक डामर रोड, वि0ख0 सैदनगर में इमारता गांव के मजरा बीच वाला में रोड व नाला का निर्माण आदि उक्त विकास खण्डों में सड़क न होने की वजह से किसानों, छात्र छात्राओं एवं क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाकोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये, उक्त विकास खण्डों की सड़क व नाला निर्माण कार्य जनहित में कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के राशन के डीलरों से डी0एस0ओ0 द्वारा अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में

श्री तसलीम अहमद-

[मान्यवर कृपया अवगत कराना है कि जनपद-बिजनौर के विधान सभा नजीबाबाद के अन्तर्गत राशन के डीलरों से डी0एस0ओ0 द्वारा 2.80 प्रति लीटर 25 प्रतिशत की मिट्टी के तेल की कटौती के नाम पर पैसे लेते हैं। यह धन जो कि लगभग 8 लाख रुपये प्रति माह बैठता है, जिससे अनाधिकृत रूप से धन वसूली कर साथ ही घटतौली भी कराते हैं, गोदाम प्रभारियों व मिट्टी के तेल के थोक विक्रेताओं द्वारा कोटेदारों को धमकी दी जाती है। कि अगर तुम लोग खाद्यान्य हमको नहीं दोगे तो हम आपका कोटा निलम्बित करा देंगे, क्योंकि मुझे ऊपर तक देखना पड़ता है। गोदाम प्रभारियों एवं खाद्यान्य माफियाओं द्वारा कोटेदारों से अवैध वसूली करने के कारण कोटेदारों द्वारा क्षेत्र में गरीब असहाय निर्धन जनता को सुचारू रूप से मिट्टी के तेल का वितरण नहीं किया जा रहा है तथा सरकारी राशन की दुकानें माह में दो दिन ही खोलते है गोदाम प्रभारियों एवं बिचौलियों के डर व भय के कारण कोटेदार लोग अधिकारियों से शिकायत करने से भी डरते है। यह अवैध वसूली जनपद-बिजनौर में काफी समय से चल रहा है। क्षेत्र में गरीब व असहाय कार्ड धारकों का बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त]

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में स्वीकृत इन्टीग्रेटिड एण्ड कॉमहैन्सिव बाढ़ एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन सुमन-

[विषय-जनपद-आगरा, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत इन्टीग्रेटिड एण्ड कॉमहैन्सिव बाढ़ एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत अधूरों निर्माण कार्यों को पूरा कराने के सम्बन्ध में।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-आगरा, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत इन्टीग्रेटिड एण्ड कॉमहैन्सिव बाढ़ एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्ग स्वीकृत हुये

1-गुटिला से गंगरौआ मार्ग।

2-रजरई से नगलाकली।

3-कहरई से नगला कली कौलक्खा होते हुये ए0डी0आई0 मार्ग तक।

4-जगनेर रोड धनौली सब्जी मण्डी अजीजपुर से टपरा रेलवे क्रासिंग वाया पावर हाउस मार्ग की मरम्मत कार्य।

5-जगनेर रोड दिनेष मेडिकल स्टोर से नगल लेखराज मार्ग की मरम्मत नाली निर्माण का कार्य।

6-रा0मा0-2 से अरतौनी मार्ग के आबादी भाग में रेजिंग एवं नाली निर्माण कर मरम्मत का कार्य।

7-बिचपुरी रेलवे पाठक से ग्राम-बिचपुरी होते हुये नहर की पटरी तक मार्ग के आबादी भाग का उच्चीकरण एवं के0सी0 ड्रेन का कार्य।

8-फतेहपुर सीकरी मार्ग से लकड़मदा होते हुये बोदला बिचपुरी मार्ग के आबादी भाग में रेजिंग मरम्मत कार्य।

उपरोक्त कार्य काफी समय से स्वीकृत है, बीच में ही सम्पर्क मार्गों के कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत इन्टीग्रेटिड एण्ड कॉमहैन्सिव बाढ़ एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में बस्ती मेहदावल सड़क के उच्चीकरण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत बस्ती से मेहदावल तक लगभग 7-8 कि0मी0 सड़क बहुत ही जर्जर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है सड़क में बहुत बड़े-बड़े गड्ढे है जिससे आवागमन पूर्णता बाधित रहता है। बरसात के समय सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है आवागमन बाधित होता रहता है। जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती है, जिसके कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से एवं वार्तालाप से शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में उक्त सड़क का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौली के कतिपय ग्रामों में हुई ओलावृष्टि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फेरन लाल अहिरवार-

[महोदय,

अवगत कराना है कि जिला-ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र, महरौनी के ग्रामों में वर्ष-2013-14 में हुयी ओलावृष्टि से लगभग 100 ग्रामों के किसानों की फसलों का नुकसान हुआ जिसकी जानकारी क्षेत्र के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जिससे गरीब किसानों के पशु एवं फसलों का भारी नुकसान जिसकी रिपोर्ट क्षेत्र के लेखपाल द्वारा सर्वे करके लगायी गयी लेकिन अभी तक दस प्रतिशत किसानों को मुआवजे का भुगतान किया गया और अन्य किसानों को मुआवजे का भुगतान आज तक नहीं कराया है। जिससे किसानों एवं उनके परिवार भुखमरी के कगार पर है। जिससे क्षेत्र के किसानों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है। जिससे क्षेत्रीय जनता/किसानों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए किसान हित में मुआवजा दिलाये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र-222 बबीना (झांसी) में ग्राम पंचायत-हीरापुर के मजरा-ढंगा एवं आदिवासी बस्ती तथा ग्राम पंचायत खाड़ी में बैरागढ़ एवं खुशीपुरा मजरा, ग्राम पंचायत-बेदौरा के मजरा-भड़रा, छोटी डुबकी, बड़ी डुबकी, छर्रा एवं आदिवासी कालोनी में आजादी से अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है तथा लोग आज के इस वैज्ञानिक युग में विद्युतीकरण न होने से नारकीय जीवन जीने को मजबूर है, जिससे क्षेत्रीय जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में स्थित रामपुर रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र करछना में स्थित रामपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित रेलवे क्रासिंग जो जनपद की सबसे व्यस्ततम क्रासिंग है तथा प्रतिदिन हजारों

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोगों का उस क्रासिंग पर आना जाना रहता है। उक्त रेलवे क्रासिंग नई दिल्ली हावड़ा रूट पर होने के कारण यहां की स्थित प्रातः बन्द रहता है। जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चे, अस्पताल जाने वाले लोग इससे प्रभावित होते है। जनहित को ध्यान में रखते हुए रेलवे ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर न बनाये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त रेलवे ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि जनपद चंदौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत वि0ख0-नियामताबाद के ग्राम-ग्रामसभा पचोखर, जीवनाथपुर, मवई, रेमा, गोदना, शहजौर, विसौरी, गोपालापुर, गोरारी, कठौरी, खरगीपुर, शाहपुर डंगरा, छोटू सराय, मन्नापुर, तारनपुर दलित बस्ती, रगौली, कूड़कला एवं वि0ख0-चन्दौली के ग्राम भटपुरवा, जगदीशपुर, कुरई, अकोढ़ा कलां, धूरी कोट, धनेजा, नौगरहा, गौरी, बजहा नई कोट, ख्यालगढ़, खड़गीपुर अन्तर्गत अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय को विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विभागीय ग्राम सभाओं में जो आधा अधूरा विद्युतीकरण कराया गया है उसके विद्युतीकरण के लिए मुख्य अभियन्ता वाराणसी को एवं एम0डी0 पूर्वांचल विद्युत वितरण को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि जनहित में उपरोक्त विकास खण्डों के ग्राम सभाओं में यथाशीघ्र विद्युतीकरण कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर अन्तर्गत कुसम्हीं बाजार में मोती राम अड्डा तक की जर्जर सड़क का पूर्ण निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद-

[महोदय,

कृ0 आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला गोरखपुर के ब्लाक-पिपराइच के अन्तर्गत कुसम्हीं बाजार से मोतीराम अड्डा तक की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त/जर्जर होने एवं उक्त सड़क का पूर्ण निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्षा के समय सड़क जगह-जगह तालाब का रूप ले लेती है एवं सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं एवं उक्त सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे राहगीरों के साथ आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और क्षेत्रीय जनता का आवागमन पूर्णतः बन्द हो गया। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन तथा सरकार से क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण/मरम्मत यथाशीघ्र किये जाने का अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण/मरम्मत हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने एवं जिला गोरखपुर के ब्लाक पिपराइच के अन्तर्गत कुसम्ही बाजार से मोती राम अड्डा तक की सड़क का निर्माण/मरम्मत जनहित में प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[महोदय,

कृ0 संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड-बड़रांव, दोहरीघाट, फतहपुर मण्डांव आदि के अन्तर्गत स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाफे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिपाह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुग्गी चौरी स्थित हैं। सरकार का दावा है कि उक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों पर हमेशा दवा एवं डाक्टर उपलब्ध रहते हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि उक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्षेत्रीय जनता अपने इलाज हेतु जाती है तो वहां से उन्हें बैंरग खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य केन्द्रों पर न तो दवा उपलब्ध होती है और न ही डाक्टर मौजूद रहते हैं। यहां तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुत्ते के काटने के दौरान लगने वाली (रैबींज) इंक्जेक्शन भी उपलब्ध नहीं रहता है। क्षेत्रीय मरीजों को अपने इलाज हेतु प्राइवेट डाक्टरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुग्गी चौरी में पूरा सरकारी स्टाफ तैनात है, परन्तु उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कभी भी स्टाफ उपलब्ध नहीं रहता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हमेशा ताला बन्द रहता है। जिससे क्षेत्रीय मरीजों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की गयी है, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्यापत है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 108 व 102 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय,

मैं माननीय सदन का ध्यान 182 सरेनी वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गोविन्दपुर (ब्लाक सरेनी) व ग्राम खजूरगांव (ब्लाक लालगंज) के सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों में एम्बूलेन्स सेवा नं0 108 व 102 का न होने की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उपरोक्त सी0एच0सी0 जनपद के सुदूर आंचल में स्थित है एवं इस महत्वपूर्ण सेवा के अभाव से कई हजार लोग इस जन कल्याणकारी योजना से वंचित हैं।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस तात्कालिक एवं सामयिक विषय पर माननीय सदन से मांग करता हूं कि नियमों की व्यापकता बढाते हुए हर सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों पर समाजवादी एम्बूलेन्स सेवा 108 व 102 उपलब्ध कराने की कृपा कराएं ताकि हर व्यक्ति को उक्त चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिल सके।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की कतिपय ग्राम सभाओं में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर-

[मान्यवर,

मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) अन्तर्गत ग्राम सभा मुण्डेरा, डुमरी, डेहरी एवं टीकादेउरी बड़े गांव होने के साथ ही यहां की आबादी भी 10000 से अधिक है। यह सभी गांव टोंस नदी के किनारे बसे हैं जो कि आर्सेनिक से बुरी तरह से प्रभावित है और इन गांवों का भूजल स्तर भी काफी नीचे है। जनहित में इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए उपरोक्त गांवों में ओवरहेड टैंक (पानी की टंकी) बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत ग्राम सभा मुण्डेरा, डुमरी, डेहरी एवं टीकादेउरी में ओवरहेड टैंक (पानी की टंकी) बनाये जाने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली की आमी नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय,

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली से होकर बहने वाली आमी नदी का जल तटीय क्षेत्रों में स्थापित कारखानों, मिलों के द्वारा विषैला उत्सर्जित पदार्थ तथा कूड़ा कचरा आदि डाले जाने के कारण नदी का जल काला एवं प्रदूषित हो गया है। तटीय क्षेत्रों के निवासियों तथा पशुओं को प्रदूषित जल के दुष्परिणाम को भोगने के लिए विवश होना पड़ रहा है।

केन्द्रीय व क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के रिपोर्ट इस बात का सुबूत है कि आमी नदी गम्भीर रूप से प्रदूषित हो चुकी है। प्रदूषण का खतरा सिर्फ आमी नदी तक सीमित न होकर इसका प्रभाव आमी नदी के राप्ती नदी में मिलने के स्थान जनपद गोरखपुर कौड़ीराम के पास ऐतिहासिक स्थान सोहगौरा में देखा गया है। सोहगौरा के राप्ती नदी के पानी में टोटल सस्पेंडेड, सॉलिड, कुल ठोस पदार्थ कार्बन डाई-आक्साइड और अम्लीयता की मात्रा डब्लू0एच0ओ0 के मानक से बहुत ही अधिक है। तटीय क्षेत्रों में मच्छरों का बढ़ता प्रकोप इसका सबूत है। यदि शीघ्र ही सरकार द्वारा प्रदूषण मुक्त किये जाने का उपाय नहीं किया गया तो भविष्य में आमी नदी के तटीय इलाके मच्छरों के प्रजनन केन्द्र बन जायेंगे जो मानव स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरे बनेंगे। प्रकरण अति लोकमहत्व का है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों/ स्टाफ की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयादीन अनुरागी-

[महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, राठ, जनपद हमीरपुर अन्तर्गत अवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों 1-राठ, 2-सरीला, 3-मुस्करा में डाक्टर/स्टाफ की पर्याप्त कमी हैं जिससे इस क्षेत्र के लोगों को समुचित चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राठ में मात्र 03 चिकित्सक तैनात हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरीला में मात्र एक चिकित्सक तैनात हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुस्करा में चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की कमी है। इस प्रकार से उक्त तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं स्टाफ की पर्याप्त कमी होने के साथ ही साथ वर्तमान में तैनात चिकित्सकों एवं स्टाफ द्वारा भारी अनियमितताएं की जा रही हैं जिसकी शिकायत आये दिन जनता उच्चाधिकारियों से कर रही है, किन्तु शासन स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही और न ही यहां पर जनहित में पर्याप्त चिकित्सकों एवं स्टाफ की तैनाती ही की जा रही है। इससे इस क्षेत्र की जनता में सरकार के प्रति गंभीर रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। जनहित में जनपद-हमीरपुर के उक्त तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ जनपद में भी स्वीकृत चिकित्सक एवं स्टाफ की अविलम्ब तैनाती आवश्यक है। प्रकरण लोकमहत्व एवं जनहित का है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में पी0एच0सी0 में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में पी0एच0सी0 में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से हो रही मृत्यु से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस टाउन एरिया की आबादी 50 हजार से अधिक है और यहां पर लगभग 90 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं तथा आस-पास के क्षेत्र का भी इससे बहुत जुड़ाव है और यहां से जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 25 किमी0 है जिसके कारण मरीज को चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण अक्सर मरीज की मृत्यु हो जाती है। यहां पर कोई प्राइवेट नर्सिंग होम या एम0बी0बी0एस0 डाक्टर नहीं है जिसके कारण चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर 30 बेड का अस्पताल एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड व लेडीज डाक्टर एवं स्टाफ एवं एम्बुलेंस की अत्यन्त आवश्यक है। यहां पर चिकित्सा सुविधा न मिल पाने के कारण क्षेत्र की जनता में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। यदि अविलम्ब इसकी व्यवस्था नहीं हुई तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास (अलीगढ़) की निम्न मुख्य सड़क बहुत ही जर्जर/गड्ढायुक्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है। ट्रैक्टर तथा बड़े वाहन के पलटने से आये दिन दुर्घटना हो रही है। सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे होने से जनता के गम्भीर उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाने में काफी विलम्ब होने के कारण कई मरीजों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। जिनकी मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

1-तोछीगढ़ मुरसान बम्बा से पिलखुनिया होते हुए बढ़ाकला तक दूरी 3.6 किमी0।

2-गोरई मांट मार्ग सूरजा से नगला घना होते हुए इरौली तक दूरी 2.5 किमी0।

3-हरतपुर पिजरी सम्पर्क मार्ग से नगला कुंजी तक दूरी 500 मी0।

4-पिजरी चिंता की नगरिया सम्पर्क मार्ग से तारापुर रूदायन तक दूरी 4 किमी0।

5-गहलऊ नगला चन्द्राम सम्पर्क मार्ग से गदाखेड़ा तक दूरी 1.5 किमी0।

6-अलीगढ़ राजा मथुरा मार्ग से बम्बा की पटरी स्यौरा तक दूरी 1 किमी0।

7-अलीगढ़ राया मथुरा मार्ग नया बास से नगला फौदा माकरौल होते हुए जवार तक दूरी 3 किमी0।

8-अलीगढ़ राया मथुरा मार्ग घंटर बाग से हैवतपुर तक दूरी 2 किमी0।

9- अलीगढ़ राया मथुरा मार्ग हस्तपुर से नगला चूरा तक दूरी 1.5 किमी0।

10- अलीगढ़ राया मथुरा मार्ग साथनी से मानचूहरा तक दूरी 1.5 किमी0।

11-इगलास गोरई मार्ग भीलपुर से मतरोई होते हुए लखटोई तक दूरी 3 किमी0।

12-गोण्डा अलीगढ़ मार्ग बड़ागांव से बिनूपुर होते हुए बढ़ौला हाजी तक दूरी 3 किमी0।

13-इगलास गोण्डा से करथला तक दूरी 1 किमी0।

14-इगलास गोरई मार्ग शाहपुर से खिरशौली तक दूरी 2 किमी0।

15-लोधा जिरौली डोर सम्पर्क मार्ग से बिजौना होते हुए सिखारन तक दूरी 2 किमी0।

16-इगलास सासनी मार्ग से खेड़िया गुरूदेव तक दूरी 3 किमी0।

17-पिजरी चौराहा शहरी सम्पर्क मार्ग करहला गोरवा से मण्डला तक दूरी 3 किमी0।

18-इगलास सासनी मार्ग से बसई तक दूरी 1 किमी0।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा के नगरीय क्षेत्र में जय बाबा गुरूदेव बाबा आश्रम में स्थापित 33 के0वी0 सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय,

जनपद मथुरा में नगरीय क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0वी0 का सब स्टेशन जयगुरूदेव बाबा के आश्रम (बाईपास) मथुरा पर स्थापित है। यह 33 के0वी0 का सब स्टेशन जयगुरूदेव बाबा के आश्रम के पास मथुरा बहुत वर्षों से पहले से है। हाइवे बाईपास के आसपास काफी संख्या में कालोनियों एवं रिहायशी आवासों में कई सौ गुना अधिक आबादी की वृद्धि हो गयी है जिसके कारण लोड की समस्या बनी रहती है। आये दिन विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है। साथ ही जयगुरूदेव बाबा आश्रम पर काफी श्रद्धालु आते हैं तथा मेला भी लगा रहता है। नगर मथुरा के बीच जयगुरूदेव बाबा आश्रम के पास स्थित 33 के0वी0 सब स्टेशन की 10 एम0वी0 की क्षमता वृद्धि बढ़ाने से क्षेत्रीय जनता को राहत मिल सकती है। विद्युत आपूर्ति के लिए 33 के0वी0 से 10 एम0वी0 की वृद्धि न करने से जनता में काफी रोष है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0वी0 से 10 एम0वी0 की वृद्धि कराये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय में मार्च, 2014 में सामग्री खरीद एवं भुगतान से सम्बन्धित 500 करोड़ घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[महोदय,

मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय, उ0प्र0 में मार्च, 2014 में सामग्री खरीद एवं भुगतान में लगभग रू0 500 करोड़ घोटाले एवं वित्तीय अनियमितता की गयी है वित्तीय वर्ष 2013-14 में मार्च, 2014 में निदेशक बाल विकास पुष्टाहार उ0प्र0 के चुनाव ड्यूटी पर प्रदेश से बाहर होने के कारण निदेशक का प्रभार सचिव, महिला एवं बाल विकास उ0प्र0 शासन के पास था। सचिव द्वारा निदेशालय पोषाहार आपूर्ति एवं विभिन्न प्रकार के क्रय से सम्बन्धित पचीसों पत्रावलियों में भारी गड़गड़ी एवं फर्जी दस्तावेजों के कारण गम्भीर आपत्तियां लगाते हुए सभी भुगतान रोक दिये गये परन्तु 31 मार्च, 2014 को उक्त घोटाले को अन्जाम देने के लिए एक सुनियोजित षड़यंत्र के तहत निदेशक बाल विकास पुष्टाहार चुनाव ड्यूटी के बीच में ही एक दिन के लिए लखनऊ वापस आये और सभी वित्तीय नियमों को दरकिनार करते हुए फर्जी दस्तावेजों प्रमाण पत्रों तथा बिल बाउचरों के आधार पर 500 करोड़ रूपये का भुगतान करा दिया गया।

यह एक अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति की वित्तीय अनियमितता है इस प्रकरण से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों, उनमें लगायी गयी आपत्तियों, एवं निदेशक द्वारा भुगतान का पूर्ण विवरण सदन के

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संज्ञान में लाने हेतु लगभग 500 करोड़ रूपये की भारी अनियमितता का प्रश्न करोड़ों बच्चों एवं महिलाओं से सम्बन्धित धन के दुरूपयोग का होने के कारण त्वरित कार्यवाई की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र से सरकारी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर पाल शर्मा-

विषय : गाजियाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गाजियाबाद की साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वहां पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, जिससे वहां की निचले तबके की आबादी वाली जनता को मंहगे इलाज के लिए प्राइवेट चिकित्सालयों का सहारा लेना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल खुलवाये जाने की सरकार से मांग करता हूं।]

फिरोजाबाद नगर में कांच उद्योग के कर्मियों की बस्तियों के अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय,

नगर फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी, ग्लास वेयर, किचन वेयर, झाड़ फानूस, साइंटिफिक उत्पाद, कांच के जार बोतलें, कांच के खिलौने, लालटेन की चिमनी, बल्ब सेल आदि अनेकों प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है। फिरोजाबाद के उत्पाद देश भर की आपूर्ति के साथ-साथ बड़े पैमाने पर विदेशों में भी निर्यात किये जा रहे हैं।

महोदय, लगभग 100 वर्षों से भी पुराना कांच का उद्योग नगर फिरोजाबाद की आर्थिक रीड़ के साथ-साथ एक सांस्कृतिक विरासत भी है और इस सांस्कृतिक विरासत की आत्मा है, पूरे फिरोजाबाद के लाखों की संख्या के गरीब मेहनतकश मजदूर। एस0सी0/एस0टी0, ओ0बी0सी0 सामान्य एवं अल्पसंख्यक सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन मेहनतकश कुशल एवं अर्द्धकुशल पुरूष एवं महिला कारीगरों में यदि कोई एक समानता है, तो वह यह कि इन मेहनतकश श्रमिकों को अवस्थापना की सुविधाओं से पूरी तरह वंचित मलिन बस्तियों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है।

जनहित में फिरोजाबाद में इन मेहनतकश मजदूरों के लिए अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एक वृहत आवासीय योजना के निर्माण की महती आवश्यकता है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत अन्तर्गत आई0डब्लू0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में किये गये घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन शर्मा-

[महोदय,

आई0डब्लू0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत तालाबों, जल निकास एवं नालियों की निर्माण का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। इस योजना में भारत सरकार का 90 प्रतिशत तथा उ0प्र0 सरकार का 10 प्रतिशत अंश वित्त पोषित है।

नामित कार्यदायी संस्था (भूमि विकास एवं जल संरक्षण विभाग) की अधिकारिता भूमि संरक्षण अधिकारी विषय की परियोजना प्रबन्धक भी कहा गया है कि द्वारा कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित है। जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में उक्त परियोजना के अन्तर्गत 11 गांव चयनित किये गये जहां की तालाबों के निर्माणार्थ मात्र औपचारिकता के रूप में सम्पन्न हो रहे हैं ज्ञात हुआ है कि शासन से यद्यपि सम्बद्धीकरण समाप्त किया जा चुका है फिर भी शाहजहांपुर इकाई अथवा बदायूं इकाई के कतिपय सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों द्वारा मात्र कार्य सम्पन्न कराया जाना दर्शाकर भारी घोटाला किया जा रहा है तथा फर्जी भुगतान कोरे चेकों पर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कराके कार्य प्रभारी द्वारा कराया जा रहा है इस तरह से करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। भूमि संरक्षण विभाग की पीलीभीत इकाई में भी भारी आक्रोश है जिसकी अभिव्यक्ति लिखित रूप से कर्मचारियों ने की है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में डी0आर0डी0ए0 की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु आगे बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि प्रदेश की डी0आर0डी0ए0 की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष है, उक्त कर्मचारियों की अन्य कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष किये जाने हेतु सरकार द्वारा अगस्त, 2013 को निर्णय लिया जा चुका है, कई विभागों में सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष किये जाने हेतु शासनादेश लागू किये जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ग्राम्य विकास अभिकरण की स्वशासी संस्थाओं में उक्त शासनादेश लागू नहीं किया गया है। जिससे उक्त ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को उक्त शासनादेश का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे कर्मचारियों को अत्यधिक आर्थिक क्षति हो रही है। उक्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारीगणों द्वारा सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष किये जाने हेतु शासनादेश लागू किये जाने का अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक उक्त शासनादेश लागू नहीं किया जा रहा है जिससे उक्त कर्मचारीगणों में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यमुना नदी की सफाई हेतु सम्यक् समाधान निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मथुरा-वृन्दावन में यमुना नदी में सीवर एवं औद्योगिक कचरेयुक्त पानी को सीधे यमुना नदी में मिलाया जा रहा है तथा यहां पर स्थापित एस0टी0पी0 को समय से न चलाकर बिना शोधित पानी को सीधे यमुना में मिलाया जा रहा है, जिस पर नगर विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा एक मानिटरिंग सेल बनाकर इसे शीघ्र प्रभावी रोक आवश्यक है। प्रदेश में यमुना नदी पर बसे शहरों के नाले-नालियों, सीवरों व औद्योगिक संस्थानों का कचरा तथा गंदा पानी सीधे गिराया जा रहा है, इससे यमुना नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गयी है। यमुना का पानी स्नान तथा पीने योग्य नहीं रह गया है। यमुना नदी पर अवस्थित शहरों की नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा एस0टी0पी0 समय पर नहीं चलाया जाता है और नाले-नालियों तथा सीवरों का गंदा पानी सीधे यमुना नदी में गिराया जा रहा है। यमुना नदी की धार्मिकता विश्व प्रसिद्ध है। यमुना नदी पर अवस्थित मथुरा-वृन्दावन में प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं, वह यमुना में स्नान तथा आचमन करते हैं लेकिन यमुना नदी में उद्योगों का अवशिष्ट मिलाये जाने से लोगों को चर्मरोग इत्यादि असाध्य रोग हो रहे हैं तथा दूषित जल के कारण लोगों की धार्मिकता भी आहत हो रही है। यमुना के शुद्धीकरण हेतु यमुना रक्षक दल द्वारा लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है, पैदल मार्च निकाला जा रहा है। वर्तमान समय में भी यमुना बचाओं आन्दोलन के तहत धरना और अनशन यहां चल रहा है। यमुना के किनारे अवस्थित फैक्ट्रियों का जहरीला पानी तथा रंगीन पानी जिसकी मात्रा लगभग 30.00 करोड़ ली0 प्रतिदिन है, सीधे यमुना नदी में गिराया जा रहा है। यमुना नदी में गिरने वाले नाले में नोयडा, वृन्दावन, मथुरा, आगरा तथा इटावा इत्यादि शहरों के सीवरों का दूषित पानी पाइपलाइन के द्वारा शहर के बाहर ले जाकर उसे एस0टी0पी0 के द्वारा शुद्ध करने के बाद ही खेतों की सिंचाई में प्रयोग करना चाहिए अथवा यमुना में मिलाना चाहिए। अतः जनहित में यह आवश्यक है कि उ0प्र0 सरकार यमुना सफाई हेतु सम्यक् समाधान निकाले तथा उ0प्र0 में यमुना नदी पर अवस्थित शहरों में सीवर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट (एस0टी0पी0) को समयबद्ध चलाकर दूषित जल एवं सीवर के जल को शुद्ध करके उसे नहरों में सिंचाई हेतु प्रयुक्त किये जाने तथा इसकी मानिटरिंग प्रदेश के नगर विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समयबद्ध रूप से किया जाना जनहित में अति-आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोएडा प्राधिकरण द्वारा विगत पांच वर्षों में भू-खण्ड आवंटन में किये गये घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर,

जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के द्वारा क्षेत्रीय किसानों को जमीन अधिग्रहित करने पर 5 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड देने की नीति के तहत आवंटन करने में बड़ी धांधली व अनियमिततायें हुई जिससे प्राधिकरण सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगा है। घोटाले व अनियमिततायें के तहत जिन सेक्टरों का मार्किट रेट उच्चतर, हाई था तथा कुछ व्यक्तियों को उन सेक्टरों में आवंटन किया गया तथा कुछ किसानों को सामान्य रूप से आवंटन किया है। जानबूझकर,

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

घोटाले के तहत उच्च मार्किट सेक्टर में कुछ चन्द लोगों को भारी लाभ दिया गया। यह घोटाला तथा अनियमितता भारी है अविलम्बनीय है मैं उच्च स्तर पर जांच की मांग करता हूं। क्योंकि सरकारी राजस्व का घोटाला हुआ है।]

गाजियाबाद के नासिरपुर पुलिस चौकी से झन्कार पैलेस तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[मान्यवर,

मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत नासिरपुर पुलिस चौकी से झन्कार पैलेस तक सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, हजारों की संख्या में लोग इस सड़क से होकर गुजरते हैं, यह एक मुख्य सड़क है।

इस सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में यहां के निवासियों द्वारा उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जाता रहा है, परन्तु अभी तक प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है।

अतः जनहित में जर्जर हालत में, जिस सड़क पर चलना दूभर हो रहा है, की मरम्मत कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गरीब किसानों की जमीन अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेलाल रावत-

[महोदय,

मैं आपका ध्यान लखनऊ जनपद के कलियाखेड़ा के ग्राम के खसरा संख्या-674 ख को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया जिससे अधिग्रहण कर लिया गया था। जिसके चारों ओर अर्द्धनिर्मित मकान हैं। कृपया उक्त खसरा संख्या को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मुक्त कराने हेतु जनहित में आवश्यक है।

अतः लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए मैं सदन से मांग करता हूं कि कलियाखेड़ा लखनऊ के खसरा संख्या-674 ख को प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की धारा 6 से मुक्त किया जाय तथा कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र बरौली के कतिपय ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली (अलीगढ़) में निम्न ग्रामीण सम्पर्क मार्ग कच्चे होने के कारण बरसात के समय में क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी होती है। इन मार्गों से ग्रामीणों को चिकित्सीय सहायता लेने में भी काफी कठिनाई होती है।

1- एन0एच0-91 भूमिया कन्होई हसनपुर मार्ग से चिलावटी तक।

2- सोमना रोड कैनाल हेड से भूमिया हसनपुर मार्ग तक।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3- सोमना ग्राम से मणिनगला तक।

4- बाहरपुर से डावर रेलवे स्टेशन तक।

5-ग्राम किन्हुआ से भगवानपुर तक।

6- रायपुर और भीमपुर के बीच में।

7- कोल राजवहा सुमेरपुर पुल से रठगांव तक।

8- अलीगढ़ अनूपशहर रोड से बीरपुर छबिलगढ़ी तक।

9- कलुआ रेलवे स्टेशन अमरौली मार्ग से कलुआ ग्राम तक।

10-सोमना कटरा मार्ग से पोकरगढ़ी ग्राम तक।

अतः मैं चाहूंगा कि इन सम्पर्क मार्गों की नव निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

12.25 बजे औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 07 जुलाई, 2014 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 02 सूचना प्राप्त हुई।

पहली सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की विधान सभा के वर्तमान मा0 सदस्यों के सुविधायें/अधिकार एवं भूतपूर्व मा0 सदस्यों की पेंशन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में तथा दूसरी सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद-चन्दौली के डी0एफ0ओ0 द्वारा मा0 सदस्य के प्रति की गयी अभद्रता विषयक उनके पत्र पर कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दोनों सूचनाएं अग्राह्य की जाती हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिसों विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 07 जुलाई, 2014 की बैठक में सिफारिश की है कि निम्नलिखित विधेयकों को विचार एवं पारण हेतु आज ही ले लिया जायः-

1-उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014।

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज कार्य-स्थगन में जो सूचनाएं भी थीं वह सभी अस्वीकार की गयीं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत करें।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,75,09,59,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(12.28 बजे) श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,75,09,59,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,65,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,65,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाये जाते रहे)

(12.30 बजे) वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,97,16,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है। कोई कटौती का प्रस्ताव है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,97,16,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(12.31 बजे) वित्तीय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान

अनुदान संख्या-74 गृह विभाग (होमगार्ड्स)

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,31,27,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-74 गृह विभाग (होमगार्ड्स) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,31,27,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा किसान विरोधी यह सरकार के नारे लगाये जाते रहे)

(12.32 बजे) वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,67,33,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,67,33,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य ब0स0पा0 के अनेकानेक सदस्य नारे लगा रहे थे मुंह में राम बगल में छुरी, दंगा कराना भाजपा की मजबूरी)

(12.34 बजे) वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,53,60,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,53,60,99,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(12.42 बजे) वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,80,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,80,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,30,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,30,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,32,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,32,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,25,61,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,25,61,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में आये हुए बहुजन समाज पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की शेष मदें तथा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही सदन के विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की शेष मदें तथा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा उसके पारण सम्बन्धी मदें आज ही सदन में विचारार्थ ले ली जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की शेष मदें तथा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा उसके पारण सम्बन्धी मदें आज ही सदन में विचारार्थ ले ली जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,90,16,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,90,16,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन

तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,48,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,48,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,16,67,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,16,67,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,06,37,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,06,37,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,30,87,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,30,87,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान जारी, घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,71,24,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,71,24,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,11,43,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,11,43,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,92,10,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,92,10,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री इकबाल महमूद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,21,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 52,21,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग

मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री इकबाल महमूद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,56,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,56,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,94,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,94,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,06,75,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,06,75,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,03,67,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,03,67,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,48,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,48,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-22-खेल विभाग

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामकरन आर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,23,02,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,23,02,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,56,40,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,56,40,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 82,93,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 82,93,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,08,66,22,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,08,66,22,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-87
सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,11,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,11,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-91
संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा कार्यालय शुल्क मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,42,95,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,42,95,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-27
गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,03,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,03,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,38,56,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,38,56,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,43,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,43,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

राजनैतिक पेंशन (श्री राजेन्द्र चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,16,66,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,16,66,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

भू-तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,64,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,64,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,64,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-70
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,59,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,59,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-10
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

उद्यान मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विभाग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,07,68,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विभाग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,07,68,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-44
पर्यटन विभाग

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,36,45,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,36,45,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-67
विधान परिषद सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67 विधान परिषद सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,22,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67 विधान परिषद सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,22,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-68
विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,59,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,59,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,02,36,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,02,36,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,70,66,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,70,66,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,63,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,63,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,40,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,40,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,03,59,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,03,59,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,01,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,01,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,17,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,17,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,36,89,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,36,89,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,36,90,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,36,90,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 94,76,59,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 94,76,59,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,59,14,31,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,59,14,31,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,53,53,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कारागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,53,53,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,

अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,44,38,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,44,38,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,90,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,90,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,44,54,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,44,54,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,45,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,45,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,09,02,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,09,02,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग

[01 बजकर 26 बजे] संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,08,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,08,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)

[01 बजकर 26 बजे] संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,13,67,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,13,67,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014[†]

[01 बजकर 26 बजे] संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[†] दिनांक 11 जुलाई, 2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2015 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2014-2015 के लिए 288991,79,03,000 रुपये का निकाला जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2014) की अनुसूची के स्तम्भ-3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 288991,79,03,000 रुपये (रुपये दो लाख अट्ठासी हजार नौ सौ इक्यानबे करोड़ उन्यासी लाख तीन हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	1362155	2000	1364155
		पूंजी :	24260	...	24260
02	आवास विभाग	राजस्व :	5113125	65000	5178125
		पूंजी :	7150001	54084	7204085
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	2120523	600	2121123
		पूंजी :	207000	...	207000
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	274044	...	274044
		पूंजी :	70600	...	70600
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	816046	...	816046
		पूंजी :	...	...	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	854643	...	854643
		पूंजी :	223508	...	223508
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	1124157	...	1124157
		पूंजी :	32797755	...	32797755
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	1417933	...	1417933
		पूंजी :	53365	...	53365
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	118605449	447660	119053109
		पूंजी :	110961787	383264	111345051
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	2899220	13836	2913056
		पूंजी :	66120	15	66135
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	27975643	1520	27977163
		पूंजी :	8090025	...	8090025
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	5005443	...	5005443
		पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	19740913	1630	19742543
		पूंजी :	90256615	...	90256615
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज)	राजस्व :	60094822	...	60094822
		पूंजी :	4797669	...	4797669

1	2		3		
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	6756046	1379	6757425
		पूंजी :	724852	...	724852
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	700798	...	700798
		पूंजी :	...	...	0
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	784232	...	784232
		पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	10367939	24110	10392049
		पूंजी :	359995	88652	448647
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	82238	...	82238
		पूंजी :	670000	...	670000
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	47671	459625	507296
		पूंजी :	...	2500	2500
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	2294987	350	2295337
		पूंजी :	77765084	4606082	82371166
22	खेल विभाग	राजस्व :	650381	...	650381
		पूंजी :	1283337	...	1283337
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	1703187	200	1703387
		पूंजी :	537900	...	537900
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	3024149	...	3024149
		पूंजी :	4200000	...	4200000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	4927019	1000	4928019
		पूंजी :	2342371	...	2342371
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	116418584	7500	116426084
		पूंजी :	7578000	...	7578000
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	135456	...	135456
		पूंजी :	1	...	1
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1687018	...	1687018
		पूंजी :	3000	...	3000
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	117117	117117
		पूंजी :	...	...	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	43276	...	43276
		पूंजी :	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	11846939	...	11846939
		पूंजी :	10054105	...	10054105

1	2		3		
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	41114341	2000	41116341
		पूंजी :	6392914	...	6392914
33	चिकित्सा विभाग	राजस्व :	5970837	...	5970837
	(आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजी :	252784	...	252784
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	2802229	...	2802229
		पूंजी :	117393	...	117393
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	36185974	2600	36188574
		पूंजी :	10590046	...	10590046
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	5492146	200	5492346
		पूंजी :	76500	...	76500
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	49788259	...	49788259
		पूंजी :	16075300	...	16075300
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	352299	...	352299
		पूंजी :	2800000	...	2800000
39	भाषा विभाग	राजस्व :	163083	...	163083
		पूंजी :	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	3055777	...	3055777
		पूंजी :	18344424	...	18344424
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	2477176	...	2477176
		पूंजी :	645288	...	645288
42	न्याय विभाग	राजस्व :	14272687	2632505	16905192
		पूंजी :	7256312	229062	7485374
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	1476369	...	1476369
		पूंजी :	681600	...	681600
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	363738	...	363738
		पूंजी :	1310734	...	1310734
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	52299	...	52299
		पूंजी :	...	...	0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	119817	...	119817
		पूंजी :	50000	...	50000
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	2869229	...	2869229
		पूंजी :	2410350	...	2410350
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	16949140	180	16949320
		पूंजी :	9999748	...	9999748

1	2		3		
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	50698104	1000	50699104
		पूंजी :	1696600	...	1696600
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	7794480	1700	7796180
		पूंजी :	2741381	...	2741381
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	4948140	...	4948140
		पूंजी :	250000	...	250000
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	28377836	1877	28379713
		पूंजी :	91622	551	92173
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	18905	...	18905
		पूंजी :	100	...	100
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	18065217	400	18065617
		पूंजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	722050	30967	753017
		पूंजी :	409000	11100	420100
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	2700000	...	2700000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	राजस्व :	170000	...	170000
		पूंजी :	12224572	...	12224572
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)	राजस्व :	33983602	500	33984102
		पूंजी :	80504581	60000	80564581
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	1500995	...	1500995
		पूंजी :	2227300	...	2227300
60	वन विभाग	राजस्व :	5588035	1370	5589405
		पूंजी :	2390544	...	2390544
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	110436032	262287772	372723804
		पूंजी :	22214005	193311753	215525758
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	राजस्व :	242965849	360981	243326830
		पूंजी :	1000000	...	1000000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	2184496	...	2184496
		पूंजी :	108907	...	108907
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	2164478	...	2164478
		पूंजी :	500	...	500
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	414378	2070001	2484379
		पूंजी :	...	...	0

1	2		3		
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	347383	5749	353132
		पूंजी :	400	...	400
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	992246	12489	1004735
		पूंजी :	252186	...	252186
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	4165531	...	4165531
		पूंजी :	1845601	...	1845601
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	935134	...	935134
		पूंजी :	500000	...	500000
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	272155460	...	272155460
		पूंजी :	1799914	...	1799914
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	72293918	270	72294188
		पूंजी :	6481126	...	6481126
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	20424953	25	20424978
		पूंजी :	2265006	...	2265006
74	गृह विभाग (होमगार्डस)	राजस्व :	5374324	...	5374324
		पूंजी :	80141	...	80141
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	1154287	...	1154287
		पूंजी :	133600	...	133600
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	2849590	10	2849600
		पूंजी :	2500	...	2500
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	4553673	...	4553673
		पूंजी :	3975	...	3975
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	5890321	...	5890321
		पूंजी :	60000	...	60000
79	समाज कल्याण विभाग (विकालांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	15095203	...	15095203
		पूंजी :	1147593	...	1147593
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	50709626	...	50709626
		पूंजी :	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	930326	...	930326
		पूंजी :	317193	...	317193
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	381008	45767	426775
		पूंजी :	1	...	1
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	राजस्व :	93159554	...	93159554
		पूंजी :	66911990	...	66911990

1	2		3		
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	31216	...	31216
		पूंजी :	...	...	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	53403	...	53403
		पूंजी :	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	1559551	...	1559551
		पूंजी :	50000	...	50000
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	507969	...	507969
		पूंजी :	16600	...	16600
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	66844	...	66844
		पूंजी :	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	5825946	654502	6480448
		पूंजी :	133015	...	133015
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	757319	...	757319
		पूंजी :	...	...	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	2095455	3	2095458
		पूंजी :	48868	...	48868
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	520340	5	520345
		पूंजी :	789929	...	789929
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	25227102	...	25227102
		पूंजी :	50448635	200000	50648635
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	32171597	500	32176597
		पूंजी :	...	...	0
	योग. .	**राजस्व :**	**1722641312**	**269261400**	**1991902712**
		पूंजी :	**699068128**	**198947063**	**898015191**
	महायोग . .		**2421709440**	**468208463**	**2889917903**

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, खण्ड (ङ) में, उप खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्-

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

''(5) या वक्फ की किसी स्थावर सम्पत्ति''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली संशोधन) विधेयक, 2014

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए।

विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1972 की धारा-2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा-2, खण्ड (ङ) में, उप खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(5) या वक्फ की किसी स्थावर सम्पत्ति''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सदस्य लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 18-क का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 18-क में, उपधारा (1) में शब्द ''जिसका अध्यक्ष कुलाधिपति होगा'' के स्थान पर शब्द ''जिसका अध्यक्ष, कुलाधिपति होगा व उपाध्यक्ष मुख्य मंत्री या उनका नाम निर्देशिती होगा, जो कैबिनेट मंत्री से निम्न स्तर का न होगा'' रख दिये जायेंगे।

3-मूल अधिनियम की धारा 37 में,- धारा-37 का संशोधन

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

''(2) कार्यपरिषद् सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उनमें कमी कर सकेगी।''

(ख) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्

''(8) कार्यपरिषद् द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।''

(ग) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

''(11) कोई संस्था, जिसका आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो, राज्य सरकार के समक्ष नामंजूरी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकती है, जो अपील को मंजूर या नामंजूर कर सकती है। राज्य सरकार को ऐसे मामलों में जहां महाविद्यालय द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हो, महाविद्यालय के आवेदन के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन की भी शक्ति होगी।''

4-मूल अधिनियम की धारा 38 में,- धारा 38 का संशोधन

(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

''(4) किसी सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तें ऐसी होंगी जैसा कार्यपरिषद् द्वारा विहित अथवा अधिरोपित की जाय,''

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

''(7) यदि कार्यपरिषद् का यह समाधान हो जाय कि किसी सहयुक्त महाविद्यालय ने मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा उसने इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अथवा कार्यपरिषद् द्वारा उसके काम में बताई गयी किसी त्रुटि को दूर करने में निरन्तर व्यतिक्रम किया है, तो प्रबन्धतन्त्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता वापस ली जा सकेगी।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 की सभी 60 सूचनाएं स्वीकार की जाती हैं और सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्री राधे लाल रावत	जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के ब्लाक हसनगंज में 10 एम0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री बब्बन सिंह चौहान	जनपद चन्दौली के पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा भर्ती मरीजों को बाहर से दवाईयां लिखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री ममतेश शाक्य	जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमापुर समेत प्रदेश में फैल रही एवं अन्य मौसमी बीमारियों का समुचित प्रबंध किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत के बीसलपुर अन्तर्गत ग्राम लिलहर के शिव सरोवर में पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद शामली मुजफ्फरनगर में कतिपय सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री गयादीन अनुरागी	प्रदेश के डी0आर0डी0ए0 कर्मचारियों को राज्य सरकार के विभागों में मर्ज करने एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	नाम	विषय
7	श्रीमती लालमुन्नी सिंह	जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में नवीन मण्डी परिषद् के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री अजय कुमार लल्लू	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में नारायणी नदी के किनारे बसे किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री संजय कपूर	जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर से तहसील स्वार मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट	जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा राया बल्देव मार्ग एवं गोकुल बैराज से चरौथा मथुरा सादाबाद मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री वीरपाल राठी	जनपद अलीगढ़ के थाना गभाना के अन्तर्गत सी0एच0सी0 पर डाक्टरों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
12	श्री उमाशंकर	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में चोगड़ा चट्टी व अठिलापुरा में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री भीम प्रसाद सोनकर	जनपद बलिया में थाना उभांव के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री अनूप कुमार गुप्ता	आर्थिक अपराध एवं अनुसंधान संगठन, लखनऊ में तैनात निरीक्षक श्री अशोक तिवारी द्वारा जांच को प्रभावित किये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में 70 प्रतिशत अवरुद्ध चकरोड को खुलवाने एवं पुनः नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री वीर सिंह	जनपद चित्रकूट के ग्राम बरेटी में जूनियर हाई स्कूल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
17	श्री अमर पाल शर्मा	जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कतिपय कालोनियों की टूटी सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री संजय प्रताप जायसवाल	जनपद बस्ती के रूधौली कस्बा से रूधौली बांसी मार्ग तथा रूधौली बखिरा क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	नाम	विषय
19	श्री सतीश महाना	लखनऊ नगर निगम एवं कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में वेतन वितरण अधिनियम, 1971 लागू न होने से पेंशन का लाभ दिये नगर निगम, लखनऊ जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री मनीष असीजा	जनपद-फिरोजाबाद स्थित जिला-अस्पताल में खराब पड़े नलकूप को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री योगेन्द्र उपाध्याय	लखनऊ नगर निगम के बनारसीदास वार्ड के छितवापुर भुइयन खटिकाना मोहल्ले की नालियों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
22	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	जनपद-कानपुर नगर के छावनी क्षेत्रान्तर्गत श्यामनगर चौराहे से मंगला विहार होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-2 तक की निर्मित सड़क की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री अनिल कुमार	जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी अन्तर्गत रूड़की रोड मुजफ्फरनगर से कल्लरपुर कछौली वाया सहाबुद्दीनपुर मिमलाना मार्ग की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
24	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	जनपद-बस्ती के बस्ती सदर क्षेत्रान्तर्गत बस-स्टेशन के बाहर बसें खड़ी करने से लगने वाले जाम के सम्बन्ध में।
25	श्री तसलीम अहमद	जनपद-बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत थानाध्यक्ष-मढावली द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
26	श्री ललितेशपति त्रिपाठी	जनपद-मीरजापुर के मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत नहरों, लिफ्ट कैनालों से सिंचाई की सुचारु व्यवस्था हेतु धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री रोशन लाल वर्मा	जनपद-शाहजहांपुर के तिलहर के विकास खण्ड-निगोहीं के ग्राम-बैदापुर के निवासी श्री गंगाराम की दिनांक 5-5-14 को विद्युत तार की चपेट में आने से हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
28	श्री प्रदीप माथुर	जनपद-मथुरा में यमुना नदी पर मथुरा से अलीगढ़ जाने वाले जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
29	श्री ओम कुमार	जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड-नहटौर एवं हल्दौर में स्वीकृत सड़कों का निर्माण यथाशीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	नाम	विषय
30	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या	जनपद-लखीमपुर खीरी सहकारी गन्ना समिति लि0, ऐरा, खीरी में कार्यरत कर्मचारियों को ए0सी0पी0 का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
31	श्री मदन चौहान	जनपद-हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों की उच्चस्तरीय जांच तथा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
32	श्री सुरेश कुमार खन्ना	जनपद-शाहजहांपुर के ब्लाक-भावलखेड़ा के ग्राम-मऊ खालसा, बिलरिया, हथौड़िया आदि को जाने वाले रास्ते के बीच पड़ने वाली पुलिया की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
33	श्री प्रभुदयाल बाल्मिकी	जनपद-गाजियाबाद के थाना क्षेत्र-साहिबाबाद एवं लोनी के अन्दर हत्या-लूट-चोरी आदि की बड़े पैमाने पर घटित हो रही घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
34	श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप	जनपद-बहराइच के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
35	श्री गंगा सिंह कुशवाहा	जनपद-कुशीनगर के पड़रौना नगर पालिका परिषद् के विस्तारीकरण (परिसीमन) के सम्बन्ध में।
36	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	जनपद-फतेहपुर के बिन्दकी क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड-मलवां के ग्राम-सौरा मलेवा में बन्द पड़ी पानी की टंकी से पानी की सप्लाई चालू किये जाने के सम्बन्ध में।
37	श्री रामचन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत रूदौली से ललुवापुर होते हुए अमानीगंज मिल्कीपुर तक सड़क के अवशेष भाग लम्बाई 09 किमी0 के चौड़ीकरण कराये जाने व रूदौली, नयागंज, ऐहार, सधारपुर के क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
38	श्री रामसरन	बाल विकास पुष्टाहार में वर्ष 2010-11 में कम्प्यूटर क्रय में किये गये घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
39	श्री रमेश कुशवाहा	प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में वार्ड ब्वाय व अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल	जनपद चित्रकूट में कार्यरत ए0आर0टी0ओ0 द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
41	डा0 अरूण कुमार	जनपद बरेली के महानगर में स्थित स्टेडियम का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	नाम	विषय
42	श्री उमेश पाण्डेय	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा गोठा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बचे हुए कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
43	श्री जय प्रकाश निषाद	जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम सभा खरखुटा से छितहरी भरकछा तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
44	श्री रामहेत भारती	जनपद सीतापुर के थाना मानपुर के ग्राम करौदीपुर के मजरा बन्नी खरैला की निवासी श्रीमती सरोज कुमारी के पक्ष में की गई वसीयत पर अराजक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
45	श्री सिनोद कुमार शाक्य	जनपद बदायूं में उंसावा, उसैहत, दातागंज आदि विभिन्न क्षेत्रों में ई0ओ0 की मिलीभगत से दबंगों द्वारा वाहनों से की जा रही अवैध वसूली के सम्बन्ध में।
46	श्रीमती पूजा पाल	जनपद इलाहाबाद के थाना धूमनगंज एवं थाना पूरा मुफ्ती में हो रही आपराधिक घटनाओं पर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।
47	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	जनपद लखीमपुर खीरी में बाल विकास पुष्टाहार विभाग में 12 वर्ष से अधिक अवधि से तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।
48	श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत	जनपद झांसी के बबीना क्षेत्र में विभिन्न मार्गों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।
49	श्री सन्तराम कुशवाहा	जनपद जालौन के माधौगढ़ अन्तर्गत कोतवाली कोच में दिनांक 12-2-14 को दिन दहाड़े दलित मजदूर की हत्या के उपरान्त गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में।
50	श्री फेरनलाल अहिरवार	जनपद ललितपुर के ग्राम प्रधान नाराहट द्वारा गबन किये जाने के सम्बन्ध में।
51	श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी	राजकीय मेडिकल कालेजों में नियम विरुद्ध की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में।
52	श्री उदयलाल मौर्य	लखनऊ के जम्बूर खाना, मछली मुहाल में श्री ताहिर द्वारा कराये जा रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	नाम	विषय
53	श्री जगन प्रसाद गर्ग	जनपद आगरा के सुभाष नगर कालोनी में आंतरिक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
54	श्री बावन सिंह	लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित प्रीती नगर मोहल्ले में चल रहे अवैध दूध डेरियों एवं सरकारी नाले पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में।
55	श्रीमती रूबी प्रसाद	जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में सर्वे सिटिलमेंट के दौरान की जा रही गड़बड़ी के सम्बन्ध में।
56	श्री राम मगन रावत	जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ अन्तर्गत राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
57	श्री आशुतोष उपाध्याय	जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी के विभिन्न सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
58	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'	जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सई नदी पर नाबार्ड द्वारा पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
59	श्री दलवीर सिंह	जनपद-अलीगढ़ के विद्युत उपकेन्द्र गभाना, वीरपुरा, चण्डौस, अमरौली से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
60	श्री सुदेश शर्मा	लखनऊ के ग्राम हुसेड़िया में मारूतीपुरम् सहकारी समिति के क्रिया कलापों की जांच कराने के सम्बन्ध में।

जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर की उपेक्षा एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री संजय प्रताप जायसवाल का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। इसलिए अगली मद लें।

जनपद-बांदा के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारियों द्वारा आदेश के वाबजूद श्री राम प्रसाद त्यागी का भुगतान रोके जाने के सम्बन्ध में श्री गया चरण दिनकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य.... (व्यपगत)

(श्री गया चरण दिनकर का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। इसलिए अगली मद लें।

प्रदेश में बी0एड0/डी0एड0 (विशेष शिक्षा) योग्यताधारी विशेष शिक्षकों को सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा मुख्य रूप से यह कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार..

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[अधिनियम-2009 एवं उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले (दृष्टिहीन, मूकबधिर, मानसिक मंद व अन्य विकलांग) बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी जनपदों में 06 वर्ष, 14 वर्ष के समस्त बच्चों की नियमित एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है परन्तु विशेष आवश्यकता वाले उक्त बच्चों को सप्ताह में एक ही दिन मात्र 02 घण्टे तक की शिक्षा दी जा रही है। नियमित शिक्षकों के अभाव में इन्हें नियमित शिक्षा नहीं दी जा रही है जिसके कारण उक्त बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर चिंतित है। जिससे प्रदेश के सभी जनपदों के अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपदों में नियुक्त बी0एड0/डी0एड0 (विशेष शिक्षा) योग्यताधारी विशेष शिक्षकों को (इंटीनरेंट/रिसोर्स टीचर) को सहायक अध्यापक पर समायोजित कर (दृष्टिहीन, मूकबधिर, मानिसक मंद व अन्य विकलांग) बच्चों को नियमित शिक्षा प्रदान कराये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी से वक्तव्य की मांग की गयी है।

वक्तव्य-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक-10 फरवरी, 2005 के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा हेतु ब्लाक पर प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर रिसोर्स टीचर्स को इंटीनरेंट (मोबाइल मोड) में रखने के निर्देश दिये गये थे। तदनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004-05 में पहली बार इंटीनरेंट/रिसोर्स टीचर्स की तैनाती संविदा के आधार पर नियत मानदेय पर की गई। इटीनरेंट टीचर्स द्वारा 6-8 विद्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक भ्रमण कर सम्बन्धित विकलांगता के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (सी0डब्ल्यू0एस0एन0) को आवश्यकतानुसार सपोर्ट प्रदान किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर रिसोर्स टीचर्स को नियुक्त किये जाने के निर्देश है। भारत सरकार द्वारा संचालित एक अन्य योजना इंटीग्रेटेड एजूकेशन फार द डिसेबल्ड (आई0ई0डी0सी0) के अन्तर्गत शिक्षक-छात्र अनुपात 1:8 का मानक था और अब आई0ई0डी0सी0 योजना संशोधित होकर आई0ई0डी0एस0एस0 (इंटीग्रेटेड एजूकेशन फार सेकेण्डरी एजुकेशन) में

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिवर्तित हो गई और जिसका दायरा केवल सेकेण्डरी एजूकेशन तक सीमित हो गया है। इसलिये सर्व शिक्षा अभियान में 1:8 का मानक नहीं है। अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक-19 दिसम्बर, 2012 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि भारत सरकार द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त इंटीनरेंट टीचर्स हेतु वित्तीय उपाशय नहीं किया जायेगा।

यह भी अवगत कराना है कि यू0पी0 विशेष शिक्षक एसोसिएशन द्वारा दाखिल पी0आई0एल0 5622/2010 में पारित आदेश दिनांक-17-06-2010 एवं दिनांक 14-12-2012 के क्रम में मोडिफिकेशन एप्लीकेशन मा0 उच्च न्यायालय में मार्च, 2013 में दाखिल की गई है।

प्रदेश में वर्ष 2004-05 से कार्यरत विशेष शिक्षकों (इंटीनरेंट/रिसोर्स टीचर्स) के नियमितीकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इटीनरेंट एवं रिसोर्स टीचर्स की नियुक्ति संविदा पर नियत मानदेय पर की गयी है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थायी संवर्ग नहीं है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त इंटीनरेंट एवं रिसोर्स टीचर्स को नियमित किय जाना सम्भव नहीं है।

जहां तक इन टीचर्स को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आर0टी0ई0 ऐक्ट-2009 तथा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 (यथा संशोधित) में निर्धारित शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता को प्राप्त करने तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही, पदों को विज्ञापित किये जाने के पश्चात परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किये जाने का प्राविधान है।]

जनपद-बिजनौर के नहटौर और हल्दौर के सरकारी अस्पताल मे पर्याप्त डाक्टर, दवा तथा पैथालॉजी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में श्री ओम कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री ओम कुमार मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23-06-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना...

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(पिछड़ा कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[दी गई कि जिला-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र, नहटौर और हल्दौर के सरकारी अस्पताल में पर्याप्त डाक्टर व दवा एवं पैथालॉजी न होने से वहां पर भर्ती मरीजों एवं आकस्मिक चिकित्सा सम्बन्धी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ज्यादातर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मेरठ भेज दिया जाता है। जिसके कारण उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। और जिला-बिजनौर का सरकारी अस्पताल केवल रैफर सेन्टर बन कर रह गया है। जिससे दुर्घटना ग्रस्त परिवार के लोगों एवं क्षेत्रीय

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर से आख्या प्राप्त की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नहटौर पर स्वीकृत 07 चिकितत्साधिकारियों के सापेक्ष 03 चिकित्सक तैनात हैं। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हल्दौर पर स्वीकृत 07 चिकित्साधिकारियों के सापेक्ष 03 चिकितत्सक तैनात है। उक्त चिकित्सालयों में औषधियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसे मरीजों को निःशुल्क वितरित किया जाता है। मरीजों का सामान्य पैथालॉजी टेस्ट किया जा रहा है। उक्त चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सक न होने के कारण गम्भीर रोगियों को जिला चिकित्सालय, बिजनौर को रैफर किया जाता है। जिला चिकित्सालय, बिजनौर में स्वीकृत 27 चिकित्सकों के सापेक्ष 15 चिकित्सक तैनात है।, जिनके द्वारा जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

चिकित्सकों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजे गये हैं। चयनित चिकित्सकों की सूची लोक सेवा आयोग से प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती पर विचार किया जायेगा।]

जनपद-बलिया के दि किसान सहकारी चीनी मिल के गन्ना कृषकों एवं मिल कर्मचारियों के बकायों के भुगतान के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य ने अपनी सूचना में जनपद बलिया स्थित किसान सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों का...

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[25 माह से लम्बित वेतन का भुगतान, कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान तथा पेराई सत्र 2013-14 में चीनी मिल न चलने व शासन से रु0 30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा की पेराई क्षमता 1250 टी0सी0डी0 है। मिल के प्लान्ट एवं मशीनरी अत्यन्त जर्जर अवस्था में हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति तक रु0 192.77 करोड़ की शुद्ध संचित हानि में है। रसड़ा मिल में वित्तीय घाटा अत्याधिक होने तथा नेटवर्थ ऋणात्मक होने से वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त होने की सम्भावना अत्यन्त क्षीण है।

गत पेराई सत्र 2013-14 में रसड़ा चीनी मिल का संचालन कतिपय कारणों से नहीं हो पाया तथा चीनी मिल क्षेत्र का गन्ना निकटवर्ती चीनी मिल घोसी द्वारा क्रय कर पेराई का कार्य किया गया। पेराई सत्र 2013-14 में रसड़ा मिल क्षेत्र के 2.51 लाख कुन्तल गन्ने की घोसी मिल में पेराई की गई

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसका कुल गन्ना मूल्य रु0 679.79 लाख देय हुआ। दिनांक 01-07-2014 की स्थिति के अनुसार रु0 347.99 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।

किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा में समेकित हानि अधिक होने, संसाधनों की अनुपलब्धता आदि के कारण कर्मचारियों के वेतन, ग्रेच्युटी, पी0एफ0 आदि का भुगतान काफी समय से लम्बित है। कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ द्वारा प्रयास किया जा रहा है। चीनी मिल को संचालित किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की जा चुकी है।]

जनपद चन्दौली में स्थित राजकीय महाविद्यालय चन्दौली में स्नातकोत्तर विषय के अध्यापकों की नियुक्ति

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-14 स्थगित है।

उत्तर प्रदेश के लगभग 2000 हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों की मान्यतायें न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री फेरन लाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उ0प्र0 में लगभग 2000 की संख्या में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज की मान्यताएं...

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[लगभग 6 माह से शासन में विचाराधीन है अब तक मान्यतायें नहीं दी गयी हैं जबकि जुलाई सत्र शुरू हो चुका है एक-एक छात्र-छात्रायें प्रवेश के लिए दर-दर भटक रहे हैं, जबकि शासकीय विद्यालयों के अभाव के चलते लाखों छात्र/छात्राओं का भविष्य अन्धकार में हैं जिसकी वजह से अभिभावकों का सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अबिलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

केवल वक्तव्य

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उ0प्र0 में लगभग 2000 की संख्या में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज की मान्यतायें शासन में विचाराधीन होने सम्बन्धी उठाये गये बिन्दु के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006-मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6-11-2012 को पारित

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

02 अलग-अलग आदेश में शासन का विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 6-11-2012 के प्रभावी रहते प्रकरण में दाखिल की जाने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत संस्थाओं को पूर्ववत वित्तविहीन मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में न्याय विभाग का अभिमत/मरामर्श प्राप्त किया जा रहा है।]

जनपद कानपुर महानगर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज को एम्स जैसी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलिल विश्नोई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री सलिल विश्नोई, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है...

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[कि कानपुर महानगर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिस कारण से यहां लाखों मजदूर और गरीब निवास करते हैं। किन्तु कानपुर महानगर में स्वास्थ्य के इलाज के लिए उतनी अच्छी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, जितनी प्रदेश के सबसे बड़े महानगर को उपलब्ध होनी चाहिए। महानगर होने के कारण आस-पास के जिलों से गम्भीर रोगी भी इलाज के लिए कानपुर आते हैं। कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज की सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं। इसलिए कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज का एम्स के स्तर की सुविधायें उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यह लोकमहत्व का अविलम्बनीय विषय है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग की जाती है।

2-वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा जनपद रायबरेली में एम्स की स्थापना तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, झांसी, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा मेरठ को उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी का चयन किया गया है।

3-प्रदेश के के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ एवं आर0आई0एम0एस0 सैफई, इटावा में भी प्रदेश की जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं। जहां तक गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में एम्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर का हृदय रोग संस्थान एवं जे0के0 कैंसर संस्थान मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। एम्स जैसे संस्थानों की सुविधा राज्य सरकार के संसाधनों पर निर्भर करती है। प्रदेश की जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा गम्भीर प्रयास किये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर को अपने संसाधनों से यथासंभव सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं।]

जनपद-बुलन्दशहर में सराय कुडिया स्थित जिला पंचायत के 100 करोड़ की जमीन/सम्पत्ति का अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी द्वारा घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 02-07-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई ...

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

[कि ''बुलन्दशहर नगर के बीचों-बीच सराय कुड़िया में जिला पंचायत बुलन्दशहर की लगभग 12 बीघा (लगभग 12 हजार गज) जमीन है जिसके ऊपर जिला पंचायत कर्मचारियों के आवास एक वाचनालय/पुस्तकालय आदि बने हैं तथा काफी जमीन खाली पड़ी हैं पहले यहां पर लगभग 900 गज जमीन पर महिला चिकित्सालय था जिसके स्थानान्तरित होने पर वर्ष 1975 में श्री सुबोध कुमार के पिता स्व0 कालीचरण ने बुलन्दशहर के मुंसिफ अदालत में 802 वर्ग गज जमीन पर अपना स्वामित्व दिखाते हुए जिला पंचायत बुलन्दशहर के विरुद्ध एक वाद दायर किया जहां जिला न्यायालय ने जिला पंचायत के पक्ष में निर्णय लिया लेकिन मा0 उच्च न्यायालय में जिला पंचायत द्वारा पैरवी ना करने के कारण निर्णय एक पक्षीय होकर श्री सुबोध कुमार पुत्र श्री काली चरण के पक्ष में हो गया। उक्त वाद केवल 802 वर्ग गज जमीन पर था लेकिन श्री सुबोध कुमार ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर लगभग 9 हजार वर्ग गज जमीन के बैनामे कई लोगों के नाम कर दिये जिस पर जिला पंचायत, के तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिराज सिंह ने फर्जी बैनामों के लिए जालसाजी तथा धोखाधड़ी की एफ0आई0आर0 श्री सुबोध कुमार तथा अन्य के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई तथा सुबोध कुमार एवं अन्य को जेल भी जाना पड़ा। संज्ञान में आया है कि वर्तमान अपर मुख्य अधिकारी ने अध्यक्ष की सहमति से मुकदमों को वापस लेने तथा जमीन पर श्री सुबोध कुमार के स्वामित्व के पक्ष में अदालत मे बयान दर्ज करा दिया है तथा जिला पंचायत आवासों में रह रहे कर्मचारियों का आवास खाली कराने के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर उक्त प्रकरण में अविलम्ब हस्तक्षेप न किया गया तो लगभग 100 करोड़ रु0 की सरकारी जमीन को घोटाला करके जिला पंचायत अध्यक्ष व अपर मुख्य अधिकारी

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

असामाजिक तत्वों से मिलकर हजम कर लेंगे। अतः नियम-51 के अन्तर्गत लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लगभग 100 करोड़ रु0 की सरकारी जमीन को घोटाले से बचाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिए वक्तव्य की मांग की गयी है।''

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर के पत्र संख्या-518/अनुभाग-(8)/05732-281260/2014-15, दिनांक 03-07-2014 द्वारा उपलब्ध आख्या के आधार पर अवगत कराना है कि बुलन्दशहर शहर के बीचों-बीच स्थित सराय कुड़िया गाटा संख्या-1180 में स्थित है। राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 1180 कस्बा बरन परगना बरन तहसील व जिला बुलन्दशहर के नाम पर कोई भूमि अंकित नहीं है। वाचनालय/पुस्तकालय को तत्कालीन जिला पंचायत बुलन्दशहर ने दिनांक 07-04-1999 को श्री यशपाल सिंह सोलंकी, सेवा भारती को आवंटित कर शासन के अनुमति के बिना तत्कालीन जिला पंचायत द्वारा दिनांक 09-04-1999 को अनुबन्ध कर दिया गया। जिला पंचायत के आवास व पुस्तकालय आदि जिस भूमि पर बने हुए हैं वह भूमि सन् 1878 में तत्कालीन सिविल सर्जन द्वारा लाला जमना प्रसाद से जनाना शफाखाना के लिए 12 रुपये प्रति वर्ष के किराये पर ली गयी थी। किरायेनामा वर्ष 1882 में पंजीकृत हुआ। मूल किरायानामा उर्दू में है जिसमें भूमि का रकबा 802 दर दर्ज है भूमि पर निर्मित जनाना शफाखाना बाद में अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया व उसके पश्चात भवन का उपयोग आवास, पुस्तकालय आदि के लिए किया जाने लगा। सम्पत्ति रजिस्टर में भूमि का क्षेत्रफल 18 बिसा 111/5 बिस्वा अंकित है। लाला जमना प्रसाद के पौत्र व श्री सुबोध कुमार के पिता स्व0 कालीचरन ने वर्ष 1975 में इसी भूमि के सम्बन्ध में वाद दायर किया था, वाद में भूमि का क्षेत्रफल 802 वर्ग गज लिखा गया था और वाद में वर्णित चतुर्सीमा में उपरोक्त समस्त भूमि जिस पर आवास व पुस्तकालय आदि हैं, का भी विस्तृत विवरण दिया गया है। वाद में जिला पंचायत की ओर से दिनांक 21-7-1975 को अपने प्रतिवाद पत्र की दफा-2 में यह स्वीकार किया गया था कि भूमि का स्वामित्व लाला जमना प्रसाद वगैरह का होना स्वीकार किया गया है। वाद का निर्णय जिला पंचायत के पक्ष में नहीं हुआ था और न्यायालय द्वारा भूमि खाली करने का आदेश दिनांक 04-09-1978 को दिया गया था। मा0 उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या-8677/2003 जिला परिषद् बनाम सुबोध कुमार व अन्य में दिनांक 22-09-2010 को पारित ओदश द्वारा जिला पंचायत की अपील खारिज करते हुए छः माह के अन्दर भूमि खाली करने के आदेश दिये थे। भूमि पर जिला पंचायत का मालिकाना हक न होने के कारण और मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए भूमि खाली करने की कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी श्री हरिराज सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0 के क्रम में सिविल कोर्ट में दर्ज मुकदमा सं0-1276/2011 पर श्री सुबोध कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद सं0-17539/2012 में दिनांक 21-05-2012 को पारित आदेश द्वारा रोक लगा दी गयी है कि जिला पंचायत द्वारा प्रतिवाद पत्र में लाला जमना प्रसाद को मालिक आराजी होना स्वीकार किया गया है।

यह भी अवगत कराया गया है कि जिला पंचायत आवासों में रह रहे कर्मचारियों का आवास खाली कराने के नाम पर कथित उत्पीड़न करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। भूमि पर जिला पंचायत का मालिकाना हक न होने के कारण और मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22-09-2010 का अनुपालन करते हुए भूमि खाली करने की कार्यवाही की गयी है।]

जनपद-गाजियाबाद स्थित विवेकानन्द नगर में डबल स्टोरी फ्लैट में सीवर जाम होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री सुरेश बंसल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 02-07-2014 को यह सूचना दी गई है....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

[''मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गाजियाबाद के अन्तर्गत विवेकानन्द नगर डबल स्टोरी फ्लैट में सीवर जाम की तरफ आकृष्ट करता हूं। यह सीवर पूर्णतयः जाम है। सड़कों पर पानी चल रहा है, गन्दगी है व गम्भीर बीमारियां फैलने का अंदेशा है।'' लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गाजियाबाद के अन्तर्गत विवेकानन्द नगर डबल स्टोरी फ्लैट्स में सीवर जाम होन पर विभागीय संसाधनों से सफाई का कार्य कराया जाता है। वर्तमान में सीवर जाम की कोई समस्या नहीं है साथ ही सड़कों पर पानी/गन्दगी नहीं है।]

(सदन में घोर व्यवधान लगातार बना रहा)

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर, 35 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हुआ।)

लखनऊः

दिनांक 07 जुलाई, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी-(क)

(देखिये अता0 प्र0सं0 113 का उत्तर पीछे पृष्ठ-59 पर।)

संख्या-1/3/96-का-4-2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांकः 04 जून, 2014

विषयः- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्व मं जारी स्थानान्तरण नीति विषयक समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, शासन द्वारा वर्ष 2014-2015 के लिए निम्नवत् स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है।

1. स्थानान्तरण निम्न प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंः-

(क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(ख) प्रोन्नति, सेवा-सामाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(ग) किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

(घ) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

2-जिलों में समूह 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में कुल 06 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं को उक्त जिलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। ऐसे ही समूह 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय।

3-विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान हैं, तो एक विभाग मे 06 वर्ष लगातार कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाय।

4-उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह प्राविधान लागू नहीं होंगे।

5-प्रत्येक विभाग में उक्त आधारों पर स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या, विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के 10 प्रतिशत तक सीमित रखी जाय। यदि उक्त सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो, तो समूह 'क' एवं 'ख' के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी का एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के लिए मा0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

6-आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जायं किन्तु अपिरहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।

7-समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे।

8-शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण दिनांक 15-07-2014 तक पूर्ण कर लिये जायें।

9-दिनांक 15-7-2014 के उपरान्त समूह 'क' के कार्मिकों के सम्बन्ध में मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा। समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के सीानानतरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा।

10-यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो दिनांक 15-06-2014 तक मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

11-अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्तः-

(i) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय।

(ii) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

(iii) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा।

(iv) समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/कार्यालयों में लागू होंगे।

(v) विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन विकलांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(vi) स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट-आफ-डेट 31-3-2014 मानी जायेगी।

(vii) 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाय।

(viii) समूह 'ग' एवं 'घ' के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-1 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर, प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जायें।

12-स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जानाः-

(i) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के सम्बन्ध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदानुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय मे कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(ii) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

(iii) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। यह प्रतिबन्ध आई0ए0एस0/आई0पी0एस0/पी0सी0एस0 एवं पी0पी0एस0 अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

13-सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरणः-

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जायं। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानानतरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय।

14-स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिशः-

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत

प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाये तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जाये।

15.-चार्ज नोटः-

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त, सम्बन्धित अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बना दें ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।

16-जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

17-यह स्थानान्तरण नीति, जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत् लागू रहेगी। इस नीति में विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त, मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा।

भवदीय,

आलोक रंजन,

मुख्य सचिव।

संख्या-1/3/96(1)-का-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी,
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी,
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण,
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालध्याक्ष, उत्तर प्रदेश,
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

राजीव कुमार,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 208 विधान सभा (364)-07-07-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।